नगर परिषद बददी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2008 से 31.03.2012

भाग—एक

1 **(क) प्रारम्भिकः—**

ग्यारहवें वित आयोग की सिफारिशो के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होन व प्रधान सचिव (वित) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1—376/81—फिन (एल0ए0) खण्ड—IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिशदों एवं नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिशद बददी जिला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

नगर परिषद बददी का दर्जा हिमाचल प्रदेश सरकार शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या यू0डी0ए0 (1) 3/2007 दिनांक 25.11.2009 द्वारा नगर पंचायत से नगर परिषद बददी कर दिया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान नियन्त्रक अधिकारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में निम्न प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहेः—

प्रधानः—

क्रमांक	**नाम**	**अवधि**
1	श्रीमती भूपिन्द्र कौंर	01.04.2008 से 21.02.2011
2	श्री मदन लाल	22.01.2011 से 31.03.2012

कार्यकारी अधिकारी

क्रमांक	**नाम**	**अवधि**
1	श्री पी0सी0 शर्मा सचिव	01.04.2008 से 24.11.2009
2	श्री सुधीर शर्मा (अतिरिक्त प्रभार)	25.11.2009 से 31.12.2009
3	श्रीमती राखी कौशल	01.01.2010 से 01.01.2010
4	श्री सुधीर शर्मा (अतिरिक्त प्रभार)	11.01.2010 से 14.03.2010
5	श्रीमती राखी कौशल	15.03.2010 से 12.04.2010
6	श्री के0एल0 ठाकुर	20.04.2010 से 31.03.2012

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (₹) (लाख में)**	**पैरा सं0**
1	वितीय कुप्रबन्धन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय के रूप में हानी	36.69	4 (घ) (ii)
2	कालातीत चैकों को पुनः रोकड़ वही में लेखांकित न करना	3.02	5 (ठ)
3	आय को जमा न करना	.32	5 (ट)
4	अनुदान राशि का समयबध उपयोग न करने के कारण 31.03.2012 को अनुपयोगी राशि	184.42	6 (ख)
5	रख–रखाव प्रभार की वसूली न करना	54.68	8
6	किरायेदारों से विलम्ब शुल्क की वसूली न करना	1.86	9
7	किराया वसूली हेतु शेष	11.02	10, 14
8	मोबाईल टावरश्शुल्क की वसूली न करना	3.55	15
9	आयकर की राशि जमा न करना	2.38	27 (ग)
10	संविदाकार के बिलों से आयकर की कटौती न करना	3.24	28
11	संदिग्ध भुगतान	1.13	29
12	वाहन का दुरूपयोग	.34	46
13	पैन्शन फंड पर वितीय कुप्रबन्धन के कारण अतिरिक्त ब्याज के रूप में हानि	4.38	42 (ग) 42 (ङ)

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवदेनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवदेन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिशद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ता का विशय है। अतः नगर परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना

से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर परिषद बददी के लेखाओं अवधि 01.04.2008 से 31.03.2012 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) एवं श्री ललित कुमार अग्रवाल, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा दिनांक 11.02.2013 से 18.05.2013 तक नगर परिषद बददी में किया गया। आय की विस्तृत जांच हेतु माह 10/2008, 01/2010, 09/2010 एवं 07/2011 तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु माह 01/2009, 02/2010, 02/2011 एवं 02/2012 के लेखाओं का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। अंकेक्षण के दौरान आगामी पैरों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त अन्य समस्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गए।

इस अंकेक्षण एव निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। लेखा परीक्षा विभाग, कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई गलत सूचना/सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए उतरदायी नहीं होगा। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उतरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

नगर परिषद बददी के अवधि 04/08 से 03/12 तक के लेखाओं का वर्तमान का अंकेक्षण शुल्क ₹76200/– बनता है। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बददी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 24 दिनांक 18.05.2013 द्वारा उक्त राशि का भुगतान निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–09 को रेखाकिंत बैंक ड्राफट द्वारा भेजने का अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थितिः–

(क) नगर परिषद बददी के लेखाओं अवधि 04/2008 से 03/2012 तक की वितीय स्थिति (मुख्य रोकड़ वही की) कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना/विवरण (परिशिष्ट ख) के आधार पर निम्नानुसार थीः–

र्वा	आय का स्त्रोत	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल	व्यय	अन्तिम शशेष
2008—09	स्वस्त्रोत	15183178	10255047	1809124	27247349	1911230	25336119
	अनुदान	0	16978128		16978128	16978128	0
	कुल	15183178	27233175	1809124	44225477	18889358	25336119
2009—10	स्वस्त्रोत	25336119	2049953	1122980	28509052	4882945	23626107
	अनुदान	0	17432014		17432014	17432014	0
	कुल	25336119	19481967	1122980	45941066	22314959	23626107
2010—11	स्वस्त्रोत	23626107	2919293	1043595	27588995	126676	27462319
	अनुदान	0	21621080		21621080	18269780	3351300
	कुल	23626107	24540373	1043595	49210075	18396456	30813619
2011—12	स्वस्त्रोत	27462319	2716804	1900079	32130439	146595	31983844
	अनुदान	3351300	26483303		29834603	11391874	18442729
	कुल	30813619	29251344	190079	61965042	11538469	50426573

दिनांक 31.03.2012 को परिषद के स्वस्त्रोतों की आय का अन्तिम शेष	31983844
अनुदान राशि का अन्तिम शेष	18442729
रोकड़ वही / वितीय स्थिति का अन्तिम शेष	**50426573**
रोकड़ वही के अनुसार 31.03.2012 को अन्तिम शेष	504265734
बैंक पास बुक / विवरणी के अनुसार अन्तिम शेष	50665157
अन्तर की राशि	**238584**

(ख) बैंक समाधान विवरणः—

नगर परिषद की रोकड़ वही व बैंक पास बुक / विवरणी में पाए गए अन्तर का बैंक समाधान (परिशिष्ट "ग" के अनुसार) निम्न प्रकार से थाः—

बैंक पास बुक / विवरणी के अनुसार अन्तिम शेष		50665157
जमा :—		
1	गलत प्रविष्टि (गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित)	300
2	बैंक द्वारा गलत डेबिट (गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित) (1509+5166)	6675
3	दिनांक को 85730.00 का चैक (संख्या 480391) जारी किया गया परन्तु बैंक द्वारा 87500.00 का	1770

भुगतान कर दिया गया।

4	माह 08/09 की आय बैंक में कम जमा	3002
5	माह 10/09 की आय बैंक में कम जमा	3872
6	माह 11/09 की आय बैंक में कम जमा	1526
7	माह 61/10 की आय बैंक में कम जमा	3559
8	माह 7/10 की आय बैंक में कम जमा	2900
9	माह 09/10 की आय बैंक में कम जमा	6810
10	माह 10/10 की आय बैंक में कम जमा	13363
11	माह 7/11 की आय बैंक में कम जमा	47300
12	माह 02/12 की आय बैंक में कम जमा	225
13	माह 03/12 की आय बैंक में अगले माह जमा करवाई गई	4168 (+) ₹95470
		₹50760627

माईनस

चैक जारी किए गए परन्तु भुगतान हेतु बैंक में प्रस्ततु नहीं किए गए

क्र0सं0	**चैक सं0**	**दिनांक**	**राशि**
1	1007129	18.07.08	26167
2	480381	08.10.08	418
3	370613	16.06.08	1509
4	1007130	18.07.08	28585
5	734489		33250
6	734433		10260
7	734403		1950
8	746061	01.05.08	255
9	996174	01.05.08	2000
10	91913	29.12.09	100830
11	1091239	24.02.10	5814
12	1091248	05.04.10	14410
13	91925	05.04.10	5000

14	102683	29.04.10	10000	
15	102684	29.04.10	10000	
16	102685	29.04.10	5000	
17	102687	18.05.10	10800	
18	102833	30.07.10	17494	
19	161008	03.08.11	987	
20	20505	21.09.11	3810	
21	180307	25.10.11	5600	
22	1180101	21.12.11	4050	
23	1180104	21.12.11	4050	
24	184730	23.03.12	11932	
25	184732	23.03.12	19883	(–) 334054
रोकड़ वही के अनुसार अन्तिम शेष				50426573

(ग) बैंक में जमा राशि का विवरणः–

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–घ** के अनुसार विभिन्न बैंकों में जमा राशि की 31.03.2012 को स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

क्र0सं0	**बैंक का नाम**	**खाता सं0**	**31.03.12 को अन्तशेष**
1	जोगिन्द्रा को0ओ0बैंक	5939	3424046
2	जोगिन्द्रा को0ओ0बैंक	8319	66372
3	यूको बैंक	1977	3308667
4	पी0एन0बी0	333674	485175
5	पी0एन0बी0	34650	2180914
6	एक्सिस बैंक	2735	3315
7	एक्सिस बैंक	0284	33324429
8	एस0बी0ओ0पी0	27125	192464
9	आई0डी0बी0आई0	49319	653157
10	सावधि निवेश	–	7026618
	31.03.12 को कुल जमा राशि		50665157

(घ) सावधि निवेशः–

नगर परिशद द्वारा समय–2 पर सावधि जमा योजना के अन्तर्गत ₹7026618/– निवेश किए गए थे जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट ङ–1 व 2 में दिया गया है।

सावधि निवेशों के अभिलेखों की पड़ताल में निम्नलिखित नियमितताएं पाई गईः–

i) नियमानुसार सावधि निवेश रजिस्टर तैयार न किया जानाः–

परिषद द्वारा दिनांक 31.03.2012 तक ₹7026618.00 का निवेश सावधि जमा के रूप में विभिन्न बैकों में किया गया था, परन्तु इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया था जिससे निवेशित राशि की स्थिति स्वतः स्पष्ट हो पाती। नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 235 के अनुसार निवेश रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं नियमानुसार निवेश रजिस्टर का अनुरक्षण करना सुनिश्चित किया जाए।

ii) वितीय कुप्रबन्धन के कारण ₹3669000.00 की अतिरिक्त ब्याज आय से वंचित होनाः–

परिषद निधि में करोड़ों रूपये की राशि बिना उचित निवेश के बचत खातों में पड़ी थी। उदाहरणार्थ वर्श 2011–12 के अन्तिम शेष ₹50414573.00 का केवल 14 प्रतिशत भाग ₹7026618 ही सावधि जमा योजना में निवेशित था। यदि इस राशि को समय–2 पर उचित वितीय प्रबन्धन करते हुए सावधि जमा में निवेश किया जाता तो इससे परिषद को अतिरिक्त ब्याज के रूप में ₹3669000/–आय प्राप्त होती। विस्तृत आंकलन नीचे दिया गया है। अगर वर्श के अन्तिम शेषों के औसतन 75 प्रतिशत भाग को जरूरत अनुसार सावधि जमा में निवेशित किया गया होता तो उक्त अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्त की जा सकती थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि परिषद निधि में एकत्रित अधिकतम राशि को उचित भागों में बांटकर सावधि जमा में निवेश किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी एक सावधि जमा निवेश को समय पूर्व भुनाया जा सके तथा अन्य निवेशों पर नियमित रूप से अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्त हो सके।

क्र0सं0	वर्ष	31 मार्च को अन्तिम शेष	75 प्रतिशत राशि जो सावधि जमा निवेश में की जा सकती थी (लगभग)	वर्ष में सावधि जमा में निवेशित राशि	सावधि जमा में कम निवेशित राशि (लगभग)	5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से प्राप्त होने वाली आय की हानि (लगभग)
1	2008—09	25336119	19000000	5614832	13300000	678000
2	2009—10	23626107	17700000	6160075	1500000	841000
3	2010—11	30810619	23100000	6570346	16500000	841000
4	2011—12	50414573	37800000	7026618	30700000	1564000
					कुल जोड़	**3669000**

(ङ) एन0एस0डी0पी0, आई0डी0एस0एम0टी0 एवं स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना की वितीय स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिश्ट (च) पर संलग्न है। अंकेक्षण में जांच उपरान्त पाया गया कि इन रोकड़ वहियों को बन्द कर दिया गया था। उपरोक्त रोकड़ वहियों को बन्द करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

5 रोकड़ वहीः—

लेखा परीक्षा के दौरान रोकड़ वही के अनुरक्षण में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गईः—

(क) रोकड़ वही की जांच के दौरान पाया गया कि रोकड़ वही को कुछ अवधि के दौरान लेखाबद्ध नहीं किया गया था एवं न तो रोकड़ वही के योग व शेष निकाले जा रहे थे और न ही रोकड़ वही को बैंक के साथ मिलान कर बैंक समाधान विवरण तैयार किए जा रहें थे। अंकेक्षण के पर्यावेक्षण में नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा रोकड़ वही को पूर्ण करवाया गया एवं बैंक के साथ मिलान उपरान्त बैंक समाधान विवरणियां तैयार करवाई गई।

अतः भविष्य में रोकड़ वही का रख रखाव नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए। रोकड़ वही को प्रतिदिन नियमानुसार लेखाबद्ध किया जाए ताकि धन के किसी भी प्रकार के दुर्विनियोजन की सम्भावना से बचा जा सके।

(ख) हिमाचल म्यूनिसिपल अकाउंट कोड–1975 के अध्याय–III के नियम 19 (3) के अनुसार रोकड़ वही को अध्यक्ष, नगर परिशद द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है जबकि रोकड़ वही को अध्यक्ष से सत्यापित नहीं करवाया गया था यह अनियमित है। इस त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में रोकड वही को अध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) रोकड़ वही में अनेक ओवर राईटिंग/कटिंग की गई है। इस प्रकार की गई ओवर राईटिंग/कटिंग को सक्षम अधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया था जो कि नियमों के प्रतिकूल है। भविष्य में उपरोक्त त्रुटि न दोहराना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता के नियम 19 के अनुसार रोकड वही की प्रत्येक प्रविष्टि को सक्षम अधिकारी से सत्यापित किया जाना अपेक्षित था। परन्तु इसे माह के अन्त में सत्यापित किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि रोकड़ वही को नियमित रूप से नहीं लिखा जा रहा था जो कि अनियमित है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व इस त्रुटि को भविष्य में न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ङ) ₹73350.00 की आय को रोकड़ वही में लेखाबद्ध न किया जानाः–

मह 03/2010 में रसीद संख्या 4385 से 4400 एवं रसीद संख्या 4401 से 4403 द्वारा परिषद ने ₹73350.00 की आय प्राप्त की थी। परन्तु प्राप्त की राशि को रोकड़ वही में लेखाबद्ध नहीं किया गया था यह गम्भीर अनियमितता है। इस प्रकरण को कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बददी के ध्यान में लाने के उपरान्त उक्त आय को रोकड़ वही में लेखांकित करवा दिया गया। उक्त राशि को समयबद्ध रोकड़ वही में दर्ज न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही प्रशासन द्वारा रोकड़ वही की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए ताकि रोकड़ वही के रख रखाव में बरती जा रही अनियमितताओं से बचा जा सके।

(च) एक ही अवधि के लिए दोहरी रोकड़ वही का संधारण करनाः–

रोकड़ वही की पड़ताल में पाया गया कि परिशद द्वारा अवधि 01.03. 2011 से 20.07.2012 के लिए दोहरी रोकड़ वही का संधारण किया जा रहा था जो कि वितीय नियमों के अनुसार अनियमित ही नहीं अपितु अत्यन्त आपतिजनक है। अंकेक्षण के दौरान दोनों रोकड़ वहियों की जांच कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बददी के पत्र संख्या MC/Baddi/Audit/2013-385 दिनांक 06.04.2013 के दृष्टिगत उपरोक्त दोहरी रोकड़ वहियों में से अवधि 01.02.11 से 20.07.2012 के लिए लिखी गई रोकड़ वही (माह 02/11 को छोड़कर)

कार्यकारी अधिकारी ने रदद कर दिया था। अतः एक ही अवधि के लिए दो अलग–अलग रोकड़ वहियों का संधारण किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में इस तरह के प्रकरणों की पुनरावृति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

(छ) ₹12000.00 आय के स्त्रोत को स्पष्ट न करनाः–

रोकड़ वही की पड़ताल में पाया गया कि दिनांक 28.10.2011 को रोकड़ वही में ₹12000.00 की आय की प्रविष्टि पाई गई। इस आय की प्राप्ति से सम्बन्धित कोई भी रसीद (जी–8) जारी की गई नहीं पाई गई। प्रविष्टि से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि यह आय किस से एवं किस शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्त की गई। अतः इस बारे स्थिति स्पश्ष की जाए व अपेक्षित अभिलेख आवश्यक जाचं हेतु आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया जाए।

(ज) दोहरी लेखा पद्धति को लागू न करनाः–

निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या 4 (यूडी) एच(सी)(सी)15–49/2003–III–3332–3379 दिनांक 25 मार्च 2009, पत्र संख्या 4 (यूडी) एच(सी)(सी)15–49/2003–III–9337–9385 मास 8/2009 और पत्र संख्या 4 (यूडी) एच(सी)(सी)15–49/2003–IV–5215–63 दिनांक 19 जुलाई 2010 द्वारा सभी नगर पंचायतों/परिषदों को निर्देश दिए गए थे कि 01.04.2009 से सभी नगर पंचायते/परिषद अपने लेखों को दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accrual Basis) से तैयार किया जाए। नगर परिषद द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना करते हुए लेखों को एकल लेखा पद्धति पर ही बनाया गया था। अतः उक्त निर्देशों की अवहेलना बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में लेखों को सरकारी दिशा निर्देशानुसार दोहरी पद्धति (Double Entry System on Accrual Basis) के आधार पर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

(झ) वर्गीकृत खाता वहियों को तैयार न करनाः–

नगर परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 66 व 67 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के करों की वसूली की जा रही है। इसी प्रकार विभिन्न मदों पर व्यय भी किया जा रहा है। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा (कुछ मदों को छोड़कर) आय व व्यय के मदवार पृथक–2 लेखा शीर्षों के अन्तर्गत खाता वहियां तैयार नहीं की गई थी। मदवार वर्गीकृत खातावहियां तैयार नहीं होने की स्थिति में यह स्पष्ट नहीं होता है कि एक निश्चित अवधि में विभिन्न मदों में आय व व्यय की कितनी मांग थी कितनी प्राप्ति व व्यय हुआ था तथा एक निश्चित तिथि को कितनी राशि वसूली अथवा भुगतान

हेतु शेष थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक आय व व्यय मद की खातावहियां तैयार की जाएं तथा इनकी मांग/प्राप्ति/व्यय व शेष राशि की गणना सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी प्रकार की कम अथवा अधिक प्राप्ति/व्यय की सम्भावना से बचा जा सके तथा प्रत्येक मद का सही लेखा तैयार हो सके। कृत कार्यवाही उपरान्त इसकी अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ण) बैंक खातों के रख–रखाव के बारे में:–

रोकड़ वही एवं बैंक खातों के मिलान में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.03.2012 तक विभिन्न बैंकों में कुल 18 खाते खुलवा रखे थे, जिनमें से इस तथ्य का स्पष्टताः अभाव था कि विभिन्न शीर्षकों (स्व स्त्रोत, अनुदान, पैन्शन/ग्रैच्यूटी, जी0पी0एफ0 एवं सी0पी0एफ0) की प्राप्त आय कौन से खातें में जमा की गई थी। तथा विभिन्न शीर्षकों का व्यय कौन से खाते से किया गया था। जिससे उपरोक्त विभिन्न शीषकों की अलग–अलग वितीय स्थिति का सही लेखन नहीं हो पाता। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि वर्तमान में अनावश्यक खातों को बन्द/इकटठा किया जाए केवल आवश्यक खाते ही खुलवायें जाएं ताकि रोकड़ वही के अवलोकन से एक नजर पता लगाया जा सके कि किस शीर्ष के अन्तर्गत निश्चित तिथि को कितना शेष है।

(ट) ₹95470.00 की राशि को बैंक में जमा न करवाने बारे:–

पैरा संख्या 4 (ख) में वर्णित बैंक समाधान विवरण के अनुसार बैंक में ₹95470.00 कम जमा करवाए गए थे। इस सन्दर्भ में जाचं उपरान्त निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:–

i) ₹31557.00 की आय को जमा न करना:–

₹31577.00 की आय जिसका विवरण नीचे दिया गया है को सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा परिषद खाते में जमा नहीं करवाया गया था। अर्थात उक्त राशि का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है। यह एक गम्भीर अनियमितता है एवं यह परिषद के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही परिलक्षित करती है। इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। यह मामला परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है। उपरोक्त राशि को उचित स्त्रोत से दण्ड ब्याज सहित वसूल कर परिषद खाते में अभिलम्ब जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

माह	जी–8 सं0	दिनांक	राशि जो वसूली गई	जमा करवाई गई राशि	कम जमा करवाई गई राशि
08/09	4160	26.08.09	1889	3761	3000
	4161	26.08.09	4872		
	4180	29.08.09	2	–	2
10/09	4248	26.10.09	10		
	4249	27.10.09	1200		
	4250	27.10.09	1500		
	4251	27.10.09	900		
	4252	27.10.09	1200	30514	1391
	4253	27.10.09	300		
	4254	28.10.09	1420		
	4255	28.10.09	4925		
	4256	28.10.09	4000		
	4257	28.10.09	16450		
	4239	19.10.09	1775	–	1775
	4263	30.10.09	706	–	706
11/09	4291	24.11.09	7910	₹3763.00 (on 30.11.09) ₹2620.00 (on 25.11.09)	1526
6/10	4454 से 4456	02.06.10	3559	–	3559
7/10	4478	15.07.10	2900	–	2900

	4626	09.09.10	10	—	10
	4651	10.09.10	2800	—	2800
10 / 10	4674	08.10.10	2800	—	2800
	4677	14.10.10	7578	—	7578
	4688	27.10.10	2985	—	2985
7 / 11	4999	11.07.11	5883	5583	300
2 / 12	5483	02.02.12	10	—	10
	5484	02.02.12	100	—	100
	5487	03.02.12	15	—	15
	5489	9.09.12	100	—	100
				योग	**31557**

ii) ₹51000.00 की धरोहर राशियों की स्थिति स्पष्ट न करनाः—

अंकेक्षण में पाया गया कि ₹95470.00 में से निम्न विवरणानुसार ₹51000.00 की धरोहर राशियां (सावधि जमा के रूप में) प्राप्त की गई थी। पडताल में पाया गया कि इन्हें न तो सम्बन्धित पक्ष को वापिस किया गया और न इन्हें भुनाने के उपरान्त परिषद खाते में लेखाबद्ध किया गया जिस कारण इनकी वर्तमान वास्तविक स्थिति की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाएं एवं धरोहर राशियों से सम्बन्धित जमा एफ0डी0आर0 को भुनाने के पश्चात परिषद निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

माह	जी—8	दिनांक	राशि जो वसूल की गई
09 / 10	4641	09.09.10	4000
07 / 11	4981	11.07.11	7500
	4985	11.07.11	17500
	5103	11.07.11	22000
		योग	**51000**

iii) बैक से ₹1770.00 का अधिक आहरणः—

परिषद कर्मचारियों के माह 10/08 (देय 11/08) के वेतन भुगतान हेतु वा0सं0 1 (माह 11/08) राशि ₹85730.00 को पारित किया गया था परन्तु (चैक संख्या 480391 दिनांक 01.11.08) द्वारा ₹87500.00 का आहरण किया गया अर्थात पारित राशि से ₹1770.00 अधिक आहरण किया गया। इस प्रकार सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा ₹1770.00 का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है जिस बारे उचित जांच पड़ताल कर स्थिति स्पष्ट की जाए। साथ ही अधिक आहरित की गई राशि की वसूली दण्ड ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी से कर पालिका निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

iv) लम्बित अन्तरों का समायोजन न करनाः—

बैंक समाधान विवरणी के अवलोकन में पाया गया कि अन्तरों में गलत प्रविष्टि ₹300.00 एवं बैंक द्वारा गलत डेबिट ₹6675.00 (1509 एवं 5160) का वर्णन किया गया था। पड़ताल में पाया गया कि उक्त अन्तरों को गत अंकेक्षण प्रतिवेदन (अवधि 04/05 से 03/08) की बैंक समाधान विवरणी में भी वर्णित किया गया था। इतने वर्षो से लम्बित इन अन्तरों का शुद्धिकरण/समायोजन रोकड़ वही में न किया जाना संस्था की लापरवाही परिलक्षित करता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। साथ ही इन अन्तरों के वास्तविक कारण तलाश कर तदानुसार उचित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए। अन्यथा इन राशियों की वसूली उचित स्त्रोत से कर पालिका निधि में करवाई जाए।

(ठ) कालातीत चैकों को पुनः रोकड वही में लेखाकिंत न किया जानाः—

माह मार्च 2012 के बैंक समाधान विवरण (परिशिष्ट—ग) के अनुसार 31. 032012 तक ₹334054/— के जारी किए गए चैक बैंक द्वारा भुगतान नहीं किया गये थे। नियमानुसार यदि कोई चैक बैंक में जारी किए जाने के तीन माह के भीतर भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता तो वो कालातीत हो जाता है। अतः उपरोक्त राशि में से ₹302239.00 के चैक दिनांक 31.03.2012 तक कालातीत हो गए थे। जिनका विवरण नीचे दिया गया है। परन्तु सम्बन्धित बैंक से इनके भुगतान से सम्बन्धित आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त न करके रोकड़ वही में इन्हें पुनः लेखाकित नहीं किया गया। अतः ₹302239 के कालातीत चैकों के समाधान हेतु

आवश्यक उचित कार्यवाही नियमानुसार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इन चैकों का लेखांकन रोकड़ वही में किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

चैक सं0	**दिनांक**	**राशि**
1007129	18.07.2008	26167
480381	8.10.08	418
370613	16.6.08	1509
1007130	18.7.08	28585
734489	—	33250
734433	—	10260
734403	—	1950
746061	01.5.08	255
996174	01.5.08	2000
91913	29.12.09	100830
1091239	24.02.10	5814
1091248	05.04.10	14410
91925	05.04.10	5000
102683	29.04.10	10000
102684	29.04.10	10000
102685	29.04.10	5000
102687	18.05.10	10800
102833	30.07.10	17494
161008	03.08.11	987
20505	21.09.11	3810
180307	25.10.11	5600
118010	21.12.11	4050
1180104	21.12.11	4050
	कुल योग	**302239**

6 अनुदानः'–

उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद की अनुदानों से प्राप्त आय की वितीय स्थिति का विस्तृत विवरण पैरा संख्या 4 (क) एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन के परशिष्ट छ (1 से 4) पर दी गई है।

(i) अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद को विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुदान राशियों की आय–व्यय की सूची इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट–ज (1 से 4) पर दी गई है। परिशिष्ट के अवलोकन/जांच उपरान्त निम्नलिखित त्रुटियां पाई गईः–

(ii) अनुदान राशियों ₹18442729.00 का उपयोग न करने बारेः–

दिनांक 31.03.2012 को सरकारी अनुदान ₹18442729.00 व्यय हेतु शेष थी। संस्था द्वारा प्राप्त अनुदान की राशियों को सम्बन्धित वितीय वर्ष में ही व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त उपयोग न की गई अनुदान राशि को उपयोग करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए अन्यथा शेष राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए। भविष्य में सभी प्राप्त अनुदान की राशियों का उपयोग निर्धारित समय के भीतर किया जाना सुनिश्चित करें।

(iii) सहायता अनुदान रजिस्टर का अनुरक्षण न करनाः–

परिषद द्वारा प्राप्त सहायता अनुदानों का कोई भी लेखा/रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था। म्यूनिसिपल अकाउंट कोड 1975 के नियम 26 के अनुसार अनुदानों से सम्बन्धित विवरण को सहायता अनुदान रजिस्टर फार्म जी–6 पर तैयार किया जाना अपेक्षित है। अनुदान रजिस्टर के अभाव में कौन–2 से अनुदान प्राप्त हुए, उन अनुदानों का किन वाउचर द्वारा व्यय किया गया, वर्ष के अन्त में किस अनुदान की क्या स्थिति थी स्वतः स्पष्ट नहीं होती। अतः अनुदानों का वर्षवार लेखा तैयार न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में अनुदान लेखों का अनुरक्षण वर्षवार किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि प्रत्येक अनुदान की स्थिति स्वतः स्पष्ट हो सके। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 आयः–

रसीद बुकों की जांच पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव न करनाः–

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1 दिनांक 2.04.13 रसीद बुकों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत किए जाने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह रजिस्टर पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ऐसा प्रतीत होता है कि रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। इस महत्वपूर्ण रजिस्टर का रख–रखाव न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए जिसके अभाव में अंकेक्षण अवधि के दौरान रसीद बुकों के आरम्भिक तथा अन्तिम शेषों इनकी प्राप्तियों तथा जारी करने सम्बन्धी रसीदों की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे अब प्राथमिकता के आधार पर तैयार करके आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) रसीदों को क्रमवार इस्तेमाल न किए जाने बारेः–

अंकेक्षण में पाया गया कि रसीद बुकों का नियमानुसार प्रयोग नहीं किया जा रहा है यह अनियमित है। रसीदों को क्रमवार जारी न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए जैसे कुछ उदाहरण नीचे दिए गए है। भविष्य में रसीदों को क्रमवार जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	रसीद सं0	दिनांक/अवधि
1	5301 से 5383	19.10.11 से 18.11.11
2	5401 से 5404	18.11.11 से 22.11.11
3	5384 से 5387	22.11.11 से 24.11.11
4	5405	25.11.11
5	5388 से 5389	25.11.11
6	5406 से 5407	28.11.11
7	5590 से 5595	15.3.12 से 16.3.12
8	5620 से 5622	16.3.12
9	5596 से 5600	17.3.12 से 19.2.13
10	5701 से 5708	20.3.12 से 21.3.12

11	5623 से 5630	21.3.12
12	5709	22.03.12
13	5631 से 5645	22.3.12 से 24.3.12
14	5710 से 5711	24.3.12
15	5646 से 5647	26.3.12

(ग) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित रसीदें सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अपने स्तर पर रदद कर दी गई थी। जबकि नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा इन रदद रसीदों को प्रमाणित (Attest) किया जाना अनिवार्य था जो कि नहीं किया गया था।

क्र0स0	**रसीद सं0**	**राशि**	**माह**	**टिप्पणी**
1	4420	—	5/10	रसीद का रदद किया जाना सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था
2	4601	—	8/10	—यथोपरि—
3	4675	10000	10/10	—यथोपरि—
4	4701	—	11/10	—यथोपरि—
5	4715	18172	11/10	—यथोपरि—
6	4741	29000	12/10	—यथोपरि—
7	5000	—	7/11	—यथोपरि—
8	5201	—	9/11	—यथोपरि—
9	5300	20	10/11	—यथोपरि—
10	5334	900	11/11	—यथोपरि—
11	5357	1108	11/11	—यथोपरि—
12	5374	10	11/11	—यथोपरि—
13	5454	10	01/12	—यथोपरि—
14	5455	20	—	—यथोपरि—
15	3889	14048	10/08	—यथोपरि—

16	3909	2000	11/08	–यथोपरि–
17	3944	–	12/08	–यथोपरि–
18	4189	11025	8/09	–यथोपरि–
19	4269	6768	11/09	–यथोपरि–
20	4334	–	12/09	–यथोपरि–
21	4362	–	02/10	–यथोपरि–
22	4400	–	03/10	–यथोपरि–

उपरोक्त अनियमितताओं के चलते आय के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस सन्दर्भ में नगर परिषद अपने स्तर पर पूर्ण छानबीन करके नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करे व कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8 ₹5467602/– रख–रखाव प्रभार की वसूली न करनाः–

हाऊसिंग बोर्ड फेस I, II तथा III के निवासियों से दिनांक 31.03.12 को ₹5467602/– रख रखाव प्रभार (maintenance charges) के रूप में वसूल किए जाने शेष थे। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "झ" में दिया गया है। अतः बकाया राशि की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 रख रखाव प्रभार की उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु शीध्र ठोस कदम उठाएं जाएं व कृत कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9 किरायेदारों से ₹186252/– विलम्ब शुल्क (Late fee) वसूल न करनाः–

दुकानों की नीलामी से सम्बन्धित सार्वजनिक सूचना 8 के अनुसार यदि कोई दुकानदार माह की 10 तारीख के बाद किराया जमा करवाता है तो उससे विलम्ब शुल्क (मासिक किराये का 2 प्रतिशत) की दर से वसूल किया जाने का प्रावधान किया गया था परन्तु परिषद द्वारा नियमानुसार विलम्ब के रूप में ₹186255/–की वसूली नहीं की गई इस सन्दर्भ में कुछ प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट "ग" में विस्तार से दिया गया है। इसमें वर्णित दुकानदारों द्वारा 1.05.09 से 31.3.12 तक लगभग न के बराबर दुकानों के किराये की अदायगी की है। अतः इन दुकानदारों से मासिक नियमानुसार किराया तथा विलम्ब शुल्क की वसूली न की जाने बारे

स्थिति स्पष्ट की जाए तथा मासिक किराये की राशि तथा विलम्ब शुल्क की राशि ₹186252 की वसूली हेतु ठोस पग उठाएं जाये। इसके अतिरिक्त अपने स्तर पर छानबीन करके यदि अन्य दुकानदारों से विलम्ब शुल्क देय बनता है राशि को नियमानुसार वसूली सुनिश्चित की जाए।

10 ₹847675/– दुकानों के किराये की राशि वसली न किया जानाः–

दुकानदारों से दुकानो के किराये के रूप में दिनांक 31.03.2012 तक ₹847675/– बकाया राशि वसूल की जानी शेष थी। विस्तृत विवरण परिशिष्ट (ट) में दिया गया है। कुल बकाया राशि का ₹599400/–निम्नलिखित केवल छः दुकानदारों से ही वसूल किए जाने थे जबकि शेष 9 दुकानदारों द्वारा ₹248275/–देय था। राशि की समयबद्ध वसूली न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए। उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए। किराये की बकाया राशि ₹847675/– नियमानुसार विलम्ब शुल्क सहित वसूल करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में किराये की वसूली नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	**दुकानदार का नाम**	**राशि**
1	श्री तरसेम लाल	182000
2	श्री अमर सिंह	97500
3	श्री राजेन्द्र कुमार	95700
4	श्री जरनैल सिंह	105000
5	श्री माता राम	67200
6	श्री सलीम खान	52000
	कुल योग	**599400**

11 अनुदान राशि से निर्मित भवन का अनुचित उपयोग करने के सम्बन्ध मेंः–

अंकेक्षण के दौरान परिशिष्ट "ठ द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार नगर परिषद में IDSMT (Integrated development of small & medium) परियोजना के अन्तर्गत पुराने बस अडडे के समीप एक भवन जिसमें दुकानें, जलपान गृह, यात्री निवास, सामुदायिक भवन, (Community Hall) तथा गाड़ी पड़ाव (Car Parking) थी, का निर्माण कार्य लगभग 2127. 89 वर्ग मीटर क्षेत्र पर ₹9188162/– की लागत से करवाया था जो कि दिनांक 8.07.2006 को

पूर्ण हो गया था परन्तु उपलब्ध करवाए गए अभिलेख की चर्चा के उपरान्त पाया गया कि भवन का उपयोग उस उदेश्य के लिए नहीं किया जा रहा है जिस उदेश्य हेतु इसे निर्मित किया गया था। अतः यह अनुदान राशि का दुरूपयोग है। अवलोकन उपरान्त इस सन्दर्भ में कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैः–

(क) भवन के भूमिगत तल पर दुकानों तथा जलपान गृह का निर्माण किया गया था। इस भाग को o/o Asstt. Drug controller, Baddi को दिनांक 10.05.08 को किराये पर दिया गया था इसके उपयोग का उदेश्य बदले जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। o/o Asstt. Drug Controller Baddi द्वारा देय मासिक किराया पूर्व निर्धारित न होने तथा यह मामला अभी तक विवादित होने के कारण नगर परिषद को 10.5.08 से 31.3.12 तक इस कार्यालय से कोई किराया प्राप्त नहीं हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि नगर परिषद को तल के इस भाग से न तो कोई आय प्राप्त हुई और न ही उस उदेश्य जिसका उल्लेख पारियोजना विवरण (Project report) में किया गया है के हेतु इस भाग को उपयोग किया गया।

(ख) भवन के प्रथम तल पर यात्री निवास हेतु निर्माण कार्य किया गया था परन्तु इस तल के 204 वर्गमीटर क्षेत्र को 0/0 Enginer pollution control board को ₹25610/– मासिक किराये पर दिया गया है। जिससे नगर परिषद को ₹307320/– आय प्राप्त होती है। तब के शेष बचे लगभग 585.83 वर्ग मीटर (789.83–204) क्षेत्र पर नगर परिषद ने अपना कार्यालय स्थापित किया हुआ है। परियोजना विवरण के अनुसार इस तल को यात्रियों की सुविधा हेतु यात्री निवास के रूप में उपयोग करके ₹11.50 लाख वार्षिक आय प्राप्त की जा सकती थी जबकि न तो इस तल का उपयोग यात्री निवास के रूप में किया गया तथा न ही इसके उपयोग का उदेश्य बदलने हेतु सक्षम प्राधिकारी की पूर्व सहमति ली गई साथ में लगभग ₹842680/–(1150000–307320) वार्षिक वितीय हानि भी उठानी पड़ रही है। 4/08 से 3/12 तक (चार वर्षों में) ₹3370720/– (842680X4) बनती है।

(ग) भवन के द्वितीय तल पर सामुदायिक कक्ष (Community Hall) का निर्माण किया गया था। परियोजना विवरण में दिए गए अनुमान के अनुसार नगर परिषद को इससे लगभग 6 लाख वार्षिक आय प्राप्त होने की सम्भावना थी जो चार सालों (4/08 से 3/12 तक) 24 लाख बनती है। मौखिक तौर पर चर्चा में बताया गया कि पिछले कुछ समय से यह कक्ष पुलिस विभाग के आधिपत्य में है। परन्तु आधिपत्य दिए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की सहमति ली गई या नहीं इससे सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में आवश्यक जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए।

(घ) भवन के भूमिगत तल के साथ स्थित लगभग 187 वर्ग मीटर क्षेत्र पर गाड़ी पड़ाव (Car Parking) का निर्माण किया गया था। परियोजना विवरण में उल्लेखित अनुमान के अनुसार नगर परिषद को इसके उपयोग से लगभग ₹एक लाख वार्षिक आय प्राप्त हो सकती थी। जो कि चार सालों (4/08 से 3/12) में चार लाख (1X4) बनती है जबकि अंकेक्षण अवधि के दौरान गाड़ी पड़ाव से कोई आय प्राप्त नहीं की गई थी इस बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए। यह प्रकरण परिषद उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

12 किराये पर दिए गए भवन का अनुबन्ध प्रस्तुत न करनाः–

नगर परिषद ने दिनांक 10.5.08 से लगभग 158.88 वर्ग मीटर क्षेत्र कार्यालय उपयोग हेतु o/oAsstt. Drug Controller Baddi को किराये पर दिया था। अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने पर सम्बन्धित अनुबन्ध की प्रति तथा जिन शर्तों के आधार पर यह क्षेत्र किराये पर दिया गया था। जाचं हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे यह भी प्रतीत होता है कि यह क्षेत्र बिना कोई लिखित अनुबन्ध किए ही किराये पर दे दिया गया था। परिषद को दिनांक 10.05.08 से 31.3.12 तक इसके किराये के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी। यह गम्भीर अनियमितता है। यह प्रकरण परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है एवं अपेक्षित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

13 लगभग ₹294000/– प्रर्त्यपणीय प्रतिभूति प्राप्त न किए जाने बारेः–

श्री सुभाश चन्द्र (मकान संख्या 453) से दिनांक 15.3.13 को मकान का नक्शा पारित करते समय अन्य विहित शुल्कों के साथ ₹2000/– प्रर्त्यपणीय प्रतिभूति के रूप में वसूल किए गए थे। चर्चा के दौंरान अवगत कराया गया कि नगर परिषद मकान के नक्शे पारित करने पर ₹2000/– प्रर्त्यपणीय प्रतिभूति के रूप में वसूल किए जाते है जिसे कुछ समय पश्चात सम्बन्धित व्यक्ति को निहित शत्रे पूरी करने लौटा दी जाती है परन्तु जिन निर्देशों/प्रस्ताव तहत यह राशि यह राशि वसूल की जानी थी वह मौखिक तथा लिखित (अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1 दिनांक 02.04.13) द्वारा आग्रह करने पर आवश्यक जाचं हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। यदि नगर परिषद अंकेक्षण अवधि (4/08 से 3/12) के दौरान यह

राशि वसूल करने हेतु अधिकृत थी तो उपलब्ध करवाई गई जानकारी (परिशिष्ट "ङ") के अनुसार नगर परिषद ने इस अवधि के दौरान 147 नक्शे पारित किए थे जिनकी एवज में नगर परिशद को ₹294000/– (147 नक्शेX2000) प्राप्त होने अपेक्षित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इन मामलों में प्रतिपूर्ति वसूल नहीं की गई इस बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किए जाए व वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 ₹334423/– किराये की वसूली योग्य राशि शेषः–

निम्नविवरणानुसार o/o Enrironmental Engineer pollution board नगर परिषद द्वारा भवन किराये पर दिया गया, से 31.3.12 को ₹334423/– किराये की राशि वसूली योग्य शेष थी।

जितना क्षेत्र किराये पर दिया गया (वर्ग मीटर)	प्रति वर्ग मीटर किराया (₹)	मासिक किराया (₹)(क)	अवधि	कुल माह तथा दिन (ख)	कुल किराया (₹) (क + ख)
317.52	125.54	39861	15.12.07 से 30.04.08 तक	4 माह 17 दिन	181303 (159444+21859)
204.00	125.54	25610	1.05.08 से 31.3.12	47 माह	1203670
				कुल किराया	**1384973**

लेकिन नीचे दिए गए विवरण अनुसार केवल ₹1050550/– की ही वसूली की गई अर्थात ₹334423/– वसूली योग्य शेष है जिसकी वसूली नियमानुसार अभिलम्ब सुनिश्चित किया जाए।

रसीद सं0	दिनांक	राशि
4038	20.03.2009	435870
4047	31.03.09	25650
4785	10.2.11	307320
4818	9.3.11	281710
		1050550

15 मोबाईल टावरस शुल्क की वसूली न किए जाने बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की पत्र संख्या DIT-DEV-IT-2005 दिनांक 22.8.2006 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में मोबाईल सेवा प्रदान करने वाली विभिन्न कम्पनियों द्वारा लगाए गए मोबाईल टावरों से स्थापना शुल्क की एक मुश्त राशि ₹10000/– प्रति टावर तथा वार्षिक शुल्क ₹5000/– प्रति टावर वसूल करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार स्थापना शुल्क तथा वार्षिक नवीनीकरण शुल्क की वसूली नहीं की गई थीः–

(क) नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में बताया गया कि इस सयम नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न मोबाईल प्रदाता कम्पनियों के लगभग 33 मोबाईल टावर लगे हुए है। जिनमें से 26 अनाधिकृत रूप से स्थापित किए गए है जिनमें से नियमानुसार कोई शुल्क प्राप्त नहीं किया गया है। न ही कोई मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर खोला गया है। अतः वांन्छित अभिलेख तैयार न करने तथा उपरोक्त वर्णित दिशा निदेर्शों के अनुसार निर्धारित शुल्क की वसूली न करके सरकारी आदेशों की अवहेलना करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए। इससे संस्था को हुई 260000/– (26X10000) प्रति टावर वितीय हानि का दायित्व निर्धारित कर दोषी के विरूद्ध 19 टावर नियमानुसार कार्रवाई की जाए कृत कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) ₹95000/– वार्षिक नवीनीकरण शुल्क वसूल न किए जाने बारेः–

नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.12 तक निम्नलिखित शुल्क की वसूली नहीं की गई थीः–

क्र0सं0	कम्पनी का नाम	जिस तिथि को स्थापना शुल्क प्राप्त किया गया था	दिनांक 31.3.12 तक कुल वर्श जिनका वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ₹5000/–वार्षिक प्राप्त नहीं किया गया	कुल वार्षिक नवीनीकरण शुल्क जो प्राप्त नहीं किया गया
1	एयरटेल	23.10.08	3	3x5000=15000
2	एयरटेल	20.11.08	3	3x5000=15000
3	एयरटेल	20.11.08	3	3x5000=15000
4	एयरटेल	20.11.08	3	3x5000=15000
5	एयरटेल	20.11.08	3	3x5000=15000
6	एयरटेल	20.11.08	3	3x5000=15000

7	बी0एस0एन0एल0	7.05.09	1 (वर्ष 2010 का नवीनीकरण शुल्क स्थापना शुल्क के साथ जमा करवा दिया गया था)	1x5000=5000
			कुल	**95000**

अतः उपरोक्त राशि समयवध वसूल न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार अपेक्षित राशि की वसूली कर परिषद निधि में जमा करना सुनिश्चित किया जाए।

16 दुकानों का किराया न बढ़ाने के कारण लगभग ₹54890/– की हानिः–'

दुकानों की नीलामी से सम्बन्धित सार्वजनिक सूचना संख्या 551–55 दिनांक 31.10.08 की शर्त संख्या 9 के अनुसार दुकानों के किराये की बढ़ौतरी तथा नवीनीकरण 3 वर्ष पश्चात किया जाना अनिवार्य था। लेकिन परिषद द्वारा दुकानों का नियमानुसार मासिक किराया बढ़ाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई परिणामस्वरूप परिषद को 54890/– किराये के रूप में आर्थिक हानि हुई यह प्रकरण परिषद को उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

क्र0सं0	दुकानदार का नाम	दुकान सं0 मासिक किराया	जितनी अवधि के लिए दुकान का आंबटन किया गया	तिथि जब से मासिक किराया बढाया जाना चाहिए था	10 प्रतिशत की दर से जितना किराया बढ़ाया जाना था	5/12 से 3/13 तक किराये की राशि जो प्राप्त नहीं की गई
1	श्री तरसेम लाल	1/5200	1.05.09 से 30.4.12 तक	1.5.12	520	(520X11) 5720
2	श्री अमर सिंह	2/3500	1.05.09 से 30.4.12 तक	1.5.12	350	(350X11)3850
3	श्री जगदीश	3/2900	–यथोपरि–	1.5.12	290	(209X11) 3190
4	श्री प्रवीण कुमार	4/2800	–यथोपरि–	1.5.12	280	(280X11) 3080

5	श्री वेद प्रकाश	5/3100	–यथोपरि–	1.5.12	310	(310X11) 3410
6	श्रीमती सविता देवी	6/3900	–यथोपरि–	1.5.12	390	(390X11) 4290
7	श्री हंस राज	8/3600	–यथोपरि–	1.5.12	360	(360X11) 3960
8	श्री राजेन्द्र कुमार	11/3300	–यथोपरि–	1.5.12	330	(330X11) 3300
9	श्री जरनैल सिंह	12/3000	–यथोपरि–	1.5.12	300	(300X11) 3300
10	श्री माता राम	13/2800	–यथोपरि–	1.5.12	280	(280X11) 3080
11	श्री सलीम खान	14/4200	–यथोपरि–	1.5.12	420	(420X11) 4620
12	श्रीमती सविता	15/3100	–यथोपरि–	1.5.12	310	(310X11) 3410
13	श्री मुकेश लाल	17/2900	–यथोपरि–	1.5.12	290	(290X11) 3190
14	श्री बलविन्द्र सिंह	18/2800	–यथोपरि–	1.5.12	280	(280X11) 3080
15	श्रीमती अनुराधा	20/2800	–यथोपरि–	1.5.12	280	(280X11) 3080
						54890

17 मदिरा शुल्कः–

आबकारी एवं कराधान विभाग से नगर परिषद परिक्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपया प्रति बोतल की दर से तदानुसार निम्नलिखित आय प्राप्त की गई।

क्र0सं0	वर्श	राशि	जी–8 सं0	प्राप्ति की तिथि
1	2008–09	99365.00	4918	20.6.11
2	2008–09	10572.00	4919	20.6.11
3	2009–10	333193.00	5799	14.5.12 (अंकेक्षण अवधि के बाद प्राप्त की गई)
4	2009–10, 10–11, 11–12	1275033	6587	28.3.13 (अंकेक्षण अवधि के बाद प्राप्त की गई)

वर्षानुवर्ष विक्रय की गई बोतलों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव मे प्राप्त आय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः वांन्छित अभिलेख/आंकड़े सम्बन्धित विभाग से एकत्रित कर आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक जांच हेतु उपलब्ध करवाया जाए।

18 बिजली शुल्क बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0डी0(1)–9/94 दिनांक 24.08.2000 के अनुसार नगर परिषद के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत पर दिनांक 1.10.2000 से एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत बोर्ड द्वारा सम्बन्धित नगर परिषद को भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया था। लेखा परीक्षा में पाया गया कि वित्त वर्ष 2008–09 में जी–8 संख्या 3894 दिनांक 7.10.2008 के तहत ₹5423057/– इस सन्दर्भ में प्राप्त किए गए थे वर्षानुसार खपत की गई बिजली से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में प्राप्त आय का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः वांन्छित अभिलेख/आंकड़े सम्बन्धित विभाग से एकत्रित करके आगामी आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किए जाएं। इसके अतिरिक्त इस सन्दर्भ में आज तक कोई भी राशि वसूल नहीं की गई इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए यह प्रकरण बिजली बोर्ड को प्रशासन से उठाया जाए तथा नियमानुसार अपेक्षित राशि वसूल करके पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

19 तहबाजारी शुल्क की वसूली न करनाः–

नगर परिषद अधिनियम 1994 की धारा 66(1) (1) के अन्तर्गत नगर परिशद क्षेत्र की सड़कों, गलियों तथा चौराहों पर विद्यमान व्यवसायियों से तहबाजारी शुल्क की वसूली करने का प्रावधान किया गया था ताकि परिषद की आय में वृद्धि हो सके। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी यह आपति उठाई गई थी परन्तु इस बारे इतने समय बाद भी आवश्यक कदम नहीं उठाया गया नगर परिषद द्वारा नियमानुसार तहबाजारी वसूल नहीं की जा रही है। इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 भविष्य में तहबाजारी वसूलने हेतु उचित पग उठाए जाने सुनिश्चित करें ताकि परिषद की आय में बढ़ौतरी हो सके।

20 ₹3300/– दुकानों के किराये की कम वसूलीः–

निम्नलिखित विवरणानुसार दुकानदारों से ₹3300/– किराये के रूप में कम वसूली की गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 उपयुक्त स्त्रोत से ₹3300/– की वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाया जाए।

क्र0 सं0	दुकान सं0	दुकानदार का नाम	अवधि	मासिक किराया	जितना किराया वसूल किया जाना था	जितना किराया वसूल किया गया	कम वसूली
1	8	श्री हंस राज	5/09 से 3/10 तक (11 माह)	3600	39600 (3600X11)	39300 रसीद संख्या 4652 दिनांक 14.9.10 28800 रसीद संख्या 4664 दिनांक 22.9.10 10500 कुल 39300	300 (39600–39300)
2	18	श्री बलविन्द्र सिंह	5/09 से 3/10 तक (11 माह)	2800	30800 (2800X11)	27800 रसीद संख्या 4369 दिनांक 15.2.10 25000 रसीद संख्या 4375 दिनांक 9.3.10 2800 कुल 27800	3000 (30800–27800)
						कुल कम वसूली	3300

21 ₹1000/– वार्षिक रख–रखाव प्रभार की कम वसूलीः–

श्री बृज मोहन (मकान संख्या 238) से पिछले आठ वर्षों (वित वर्ष 2002–03 से 2009–10 तक) की बकाया राशि 9024/– (8 वर्ष X1128 प्रति वार्षिक) रख रखाव प्रभार के रूप में प्राप्त की जानी थी परन्तु निम्न विवरणानुसार मात्र ₹8029/– प्राप्त किए गए।

रसीद सं0	**दिनांक**	**राशि**
4276	11.11.09	2256
4316	28.1.10	2256
4357	28.1.10	2256
4367	15.2.10	1256
	कुल	**8024**

परिणामस्वरूप 1000/– (9024–8024) कम वसूल किए गए। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा 1000 उचित स्त्रोत से वसूल करके परिषद खाते में जमा करवाया जाए।

22 गृहकर अधिरोपित न किए जाने बारेः–

निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या ULB-H(C)(9) 2/91-II दिनांक 20.4.1998 ULB-H(C)(9)-I दिनांक 6.11.1999 तथा UDH (C) (10)-10/97 दिनांक 4. 12.1999 में दिए गए दिशा निर्देशों के तहत परिषद अधिसूचना क्षेत्र में गृहकर अधिरोपित नहीं किया गया। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में इस बारे आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सुझाव दिया गया था परन्तु इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही न की गई। अतः प्रकरण परिषद प्रशासन के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई लाया जाता है।

23 विज्ञापन शुल्क बारेः–

नगर परिशद क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों/व्यापरियों द्वारा विज्ञापन से सम्बन्धित होडिंगस साईन बोर्डस काफी मात्रा में लगाए गए है। लेकिन वित वर्ष 2008–09, 2009–10 में इस सन्दर्भ में कोई भी शुल्क प्राप्त नहीं किया गया। 2010–11 व 2011–12 में क्रमशः 90007/– व 3000/– विज्ञापन शुल्क के रूप में प्राप्त किए गए। विज्ञापन प्रचार सामग्रियों की संख्या के दृष्टिगत यह प्रतीत होता है कि विज्ञापन शुल्क नियमित रूप से वसूल नहीं किया जा रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। यह प्रकरण परिषद के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि परिषद की आय में बढ़ौतरी हो सके।

24 मनोरंजन शुल्क (Show tax) बारेः–

अंकेक्षण के दौरान अधियाचना संख्या–1 दिनांक 2.4.13 द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में चला रहे सिनेमा तथा विडियों हालस बारे जानकारी मॉगी गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इसे बारे कोई भी जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध नहीं करवाई गई। केवल चर्चा के दौरान मौखिक तौर बताया गया कि नगर परिषद क्षेत्र में एक सिनेमा घर है, जो शन्ति सिनेमा के नाम से चल रहा है परन्तु मनोरंजन कर के रूप में कोई वसूली नहीं की गई थी। जिसके कारण अवधि 4/08 से 3/12 के दौरान लगभग ₹292000/– 50 प्रति शो X4 शो (दिन में) X365 दिनX4 वर्ष मनोरंजन कर की वसूली नहीं की गई। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण में भी

आपित उठाई गई थी लेकिन कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

25 पालतू कुता कर की वसूली न करनाः—

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1 दिनांक 2.4.2013 के सन्दर्भ में नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार अंकेक्षण अवधि में कुता कर के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं की गई थी। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस बारे आपति उठाई गई थी परन्तु इतने समय पश्चात भी इस बारे कोई कदम नहीं उठाया गया। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अब करके पालतू कुतों का सर्वेक्षण करवाकर नियमानुसार देय कर की वसूली की जाए।

व्ययः—

26 ₹20200/—फर्नीचर खरीद पर अनुचित/अनियमित भुगतानः—

नगर परिषद द्वारा वाउचर संख्या 17 ए0 माह 01/09, व 8 माह 02/09, 18 माह 02/09 एवं वा0सं0 7 माह 03/09 द्वारा क्रमशः ₹68872/— 68872/— 92110/— व 75657/— कुल ₹305511/— फर्नीचर वस्तुओं का क्रय मै0 आनन्द फर्नीचर चण्डीगढ़ से किया गया। उपरोक्त वाउचर की पड़ताल में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः—

(क) फर्नीचर की खरीद हेतु संविदाएं आमन्त्रित की गई थी। तुलनात्मक विवरणी संविदा व आर्डर संख्या 3 के अनुसार मद संख्या 4 साईड टेबल (टीक) की दर ₹1800/— प्रति टेबल अनुमोदित की गई थी परन्तु उपरोक्त मद का भुगतान वाउचर संख्या 7 माह 03/09 (बिल संख्या 1156 दिनांक 02.03.09) द्वारा अनुमोदित दर से न करते हुए ₹3500/— प्रति टेबल की दर से किया गया जो कि ₹1700/— प्रति टेबल अधिक था। इस प्रकार संविदाकार को उपरोक्त साईड टेबल की खरीद पर ₹10200/— का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया। (6 टेबलX1700) यह अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹10200/— अधिक/अनुचित भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त परिषद निधि में जमा करवाई जाए।

(ख) वाउचर संख्या 17 (ए) माह 01/09 के बिल संख्या 1134 (दिनांक 27.01.09) द्वारा चार एक्सीकयूटिव चेयर (साधारण) की खरीद ₹3500/— प्रति चेयर की दर से की गई। परन्तु

स्टॉक रजिस्टर (पृष्ठ संख्या 50) में केवल तीन एक्सीक्यूटिव चेयर की ही प्रविष्टि की गई। अतः स्टॉक रजिस्टर में एक कुर्सी का कम ईन्द्राज किया गया। इस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं स्टॉक रजिस्टर में उचित शुद्धिकरण कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) संविदा नोटिस की शर्त संख्या 1 के अनुसार फर्नीचर की पूर्ति नगर परिषद बददी को एफ0ओ0आर0 की जानी अपेक्षित थी। तुलनात्मक विवरणी एवं वर्क आर्डर में अतिरिक्त किराया देने की कोई प्रावधान नहीं था। परन्तु परिषद द्वारा ₹2500/– उक्त प्रति वाउचर के तहत कुल ₹10000/– का भुगतान संविदाकार को फर्नीचर के किराये के रूप में किया गया। अतः इस अनियमित भुगतान बारे स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

(घ) उपरोक्त वर्णित फर्नीचर की खरीद के लिए नियमानुसार कोई भी विज्ञापन/टैंडर अखबार के माध्यम से नहीं दिया गया जिससे की बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सकता। इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ङ) फर्नीचर की खरीद दर संविदा (Rate contract) के आधार पर नहीं की गई और न ही खुले बाजार से फर्नीचर क्रय करने के लिए भण्डार नियन्त्रक (Contractor of Store) हिमाचल प्रदेश से इस बारे कोई अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। फर्नीचर खरीद दर संविदा के आधार पर न करने एवं आवश्यक अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त न करने बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए।

(च) उपरोक्त फॅर्नीचर की खरीद के लिए सक्षम प्राधिकारी की वितीय स्वीकृति/अनुमोदन की प्रति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः फर्नीचर की खरीद में पाई गई उपरोक्त अनियमितताओं बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए एवं कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 अनबन्ध संख्या MC/Baddi/Sanitation/2010-644 दिनांक 14.7.2010 द्वारा नगर परिशद क्षेत्र की सफाई का कार्य एक वर्ष के लिए ₹425000/– प्रति माह की दर से मै0 सैन्टर फॉर डिवलैपमैन्ट कम्यूनिकेशन बददी को आबंटित किया था। उपरोक्त संविदा के आधार पर वाउचर संख्या 14 माह 2/11 के द्वारा संविदाकार को ₹425000/– का भुगतान किया गया। जिसकी पड़ताल में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गईः–

(क) अनुंबन्ध की धारा 11 के अनुसार संविदाकार को कम से कम 90 सफाई कर्मचारी कार्य करने हेतु तैनात करने आवश्यक थे एवं अनुबन्ध की धारा 22 के अनुसार निर्धारित संख्या में

कम सफाई कर्मचारी काम पर पाये जाने की स्थिति में ठेके की राशि से अनुपातिक रूप में कटौती की जानी अपेक्षित थी। परन्तु उपरोक्त वाउचर की जाचं में यह पाया गया कि सफाई कर्मचारी की दैनिक उपस्थिति के पक्ष में कोई भी अभिलेख वाउचर के साथ संलग्न नहीं था। जिसके अभाव में किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः इस त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए यदि कर्मचारियों की तैनाती निर्धारित संख्या से कम पाई जाती है तो तदानुसार आनुपातिक कटौती करके परिषद निधि में जमा करवाई जाए। इसके अतिरिक्त अन्य मासों की जाचं अपने स्तर कर करके अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए व आगामी अंकेक्षण में लाई जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

(ख) ₹237888/– आयकर की राशि जमा न करवाने बारेः–

निम्नविवरणानुसार संविदाकार के बिलों से ₹237888/– आयकर की कटौती की गई थी परन्तु इस आयकर को जमा करवाने सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि आयकर की कटौती की गई राशि को सरकारी खजाने में जमा ही नहीं करवाया गया। इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस राशि को अतिशीध्र जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

संविदा की अवधि	**भुगतान की गई राशि**	**2.24 प्रतिशत की दर से की गई आयकर की कटौती**
16.07.10 से 15.7.11 तक	425000X12 5100000	₹9520X12
		₹114240
16.07.11 से 15.7.12 तक	460000X12	₹10304X12
	5520000	₹123648
	आयकर की कुल कटौती	**₹237288**

28 संविदाकार से ₹324000/– को आयकर की कटौती न करनाः–

नगर पंचायत द्वारा 16.07.2007 से सफाई का ठेका सैन्टर फॉर डैवलपमैन्ट कम्यूनिकेशन शिमला को तीन वर्ष के लिए ₹450000/– प्रति माह की दर से अनुबन्ध संख्या Baddi/Sanitation-2007/-117 दिनांक 13.07.2007 द्वारा आंबटित किया गया था। वाउचर संख्या 10, 11, 16 माह 01/09 वाउचर संख्या 16 माह 2/10 की पड़ताल में पाया

गया कि उपरोक्त संविदाकार को किए जा रहे भुगतान में से नियमानुसार आयकर की कटौती नहीं की जा रही थी। जबकि आयकर अधिनियम की धारा 194 के अनुसार यदि संविदाकार को किए जाने वाले भुगतान की राशि ₹20000/– से अधिक हो तो बिल से 2 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती की जानी अपेक्षित है। अतः निम्नविवरणानुसार संविदाकार को संविदा की की अवधि (16.7.2007 से 15.7.2010) में किए गए भुगतान की राशि में से ₹324000/–की आयकर की कटौती नहीं की गई। इस त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं आयकर की वसूली उचित स्त्रोत से कर सरकारी खजाने में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

संविदा की अवधि	**भुगतान की गई राशि**	**2 प्रतिशत की दर से देय आयकर**
07/2007 से 07/2010	450000X12X3	324000
(तीन वर्ष)	16200000	
		324000

29 ₹113136.00 का संदिग्ध भुगतानः–

रोकड़ वही एवं बैंक खातों के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 31.03.09 को पालिका निधि के खाता संख्या (5939, जो0को0ओ0 बैंक) से 113136.00 का भुगतान Purchase of dd dlo sec. n.p. bhota" को टिप्पणी के साथ प्रदर्शित किया गया था एवं इस राशि की पूर्ति पैन्शन फंड खाता संख्या 7242 से दिनांक 23.07.09 को खाता संख्या 5939 में कर दी गई। परन्तु पड़ताल में पाया गया कि उक्त भुगतान की न तो रोकड़ वही में कोई प्रविष्टि की गई थी और न ही इस भुगतान के पक्ष में कोई वाउचर उपलब्ध करवाया गया। अतः बिना वाउचर व रोकड़ वही में प्रविष्टि के इस प्रकार किया गया भुगतान यंदिग्ध प्रतीत होता है। यह प्रकरण परिषद के उच्चाधिकारियों के विशेश ध्यान में आगामी उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

30 ₹45800/– का अनुचित भुगतानः–

निम्नलिखित विवरणानुसार ₹45800.00 समाचार पत्र में विज्ञापन से सम्बन्धित भुगतान परिषद निधि से किया गया यह व्यय परिषद निधि से उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता है क्योंकि ये बिल विभिन्न व्यक्यिों के नाम पर जारी किए गए थे। अतः इस बारे पूर्ण औचित्य

स्पश्ट किया जाए तथा ₹45800/— अनुचित भुगतान को उचित स्त्रोत से वसूल करके परिषद खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	व0सं0	दिनांक	राशि	जिस व्यक्ति के नाम बिल जारी किया गया था
1	16	29.4.10	10000	श्री बलवीर ठाकुर
2	17	29.4.10	10000	श्री पोला राम
3	18	29.4.10	5000	श्री संजीव बस्सी
4	6	18.5.10	10800	श्री जसविन्द्र ठाकुर
5	19	2/10	5000	श्री संजीव बस्सी
6	25	2/10	5000	श्री जसविन्द्र ठाकुर
		कुल योग		**45800**

31 ₹5156/— विलम्ब शुल्क के रूप में अनुचित भुगतानः—

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित दूरभाष तथा बिजली के बिलों के अवलोकन पर पाया गया कि इनका भुगतान देय तिथि की अपेक्षा विलम्ब में किया गया था जिसके फलस्वरूप प्रत्येक प्रकरण के आगे दर्शाई गई राशि विलम्ब शुल्क के रूप में भुगतान की गई इन बिलों का भुगतान समय पर किया जाता तो उक्त ₹5156/— के उपव्यय से बचा जा सकता था। अतः इस बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए। अन्यथा दोषी व्यक्ति से ₹5156/— की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	बिल का विवरण	वा0सं0	मास	देय राशि (₹)	भुगतान की गई राशि (₹)	विलम्ब शुल्क का भुगतान (₹)
1	दूरभाष	3	5/10	1557	1597	40
2	दूरभाष	4	6/10	3963	4043	80
3	दूरभाष	6	1/12	1608	1670	62
4	दूरभाष	12	05/08	1980	2020	40

5	दूरभाष	2	07/08	1972	2012	40
6	दूरभाष	12	02/10	1027	1067	40
7	बिजली	25	07/08	434	446	12
8	बिजली	6	11/08	500031	504686	4655
9	बिजली	14 ए	12/08	19628	19815	187
					कुल योग	**5156**

32 दूरभाष के बिलों का देय तिथि से पूर्व भुगतान न किए जाने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित वाउचरों/टैलीफोन विभाग को दूरभाष बिलों का वर्तमान शुल्क, पिछली बकाया राशि तथा विलम्ब शुल्क का भुगतान किया गया इन बिलों में पिछली बकाया राशि कितना विलम्बशुल्क सम्मिलित था बिलों में कोई भी विवरण नहीं दिया गया था जिसके अभाव के कारण भुगतान के सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि परिषद द्वारा नियमित रूप से बिलों का भुगतान किया जा रहा था। यह प्रकरण टैलीफोन विभाग से उठाया जाए ताकि वस्तु स्थिति का पता लगाया जा सके। अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

क्र0सं0	वा0सं0	दिनांक	राशि	टिप्पणी
1	16	15.2.11	13274	पिछले बकाये वर्तमान प्रभार तथा विलम्ब शुल्क का भुगतान किया गया।
2	5	1.9.11	6293	पिछले बकाये वर्तमान प्रभार तथा विलम्ब शुल्क का भुगतान किया गया।
3	7	2.6.11	3834	पिछले बकाया वर्तमान प्रभार तथा विलम्ब शुल्क के साथ बिल की कुल राशि ₹9756 बनती है। जिसमें से ₹3834 का भुगतान किया गया

33 भुगतान के विरूद्ध पावतियां प्रस्तुत न करनाः–

निम्न में भुगतानों के विरूद्ध वास्तविक प्राप्ति रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई थी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सम्बन्धित रसीदें अब प्राप्त करके उन्हें आहरण एवं वितरण अधिकारी से सत्यापित करवाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	वा0सं0	माह	राशि	भुगतान का विवरण
1	14	1/09	10612	मै0 कुमार इलैक्ट्रानिक क0
2	5	1/09	287200	–यथोपरि–
3	6	1/09	134842	–यथोपरि–
4	9	1/09	50960	श्री राजेश कुमार
5	17	2/12	519978	श्री बलजीत सिंह
6	9	2/12	2884	श्री संजय ठाकुर
7	4	2/12	72161	श्री कुण्डलास बिलडर्स
8	5	2/12	102105	श्री गोविन्द साहिब ई
9	6	2/12	68959	श्री संजय ठाकुर
10	11	2/12	42881	श्री सुण्डला बिलडर्स
11	12	2/12	197353	श्री चरण दास
12	13	2/12	237679	श्री टारबोर ग्रीन पलानेट
13	15	2/12	12418	श्री गोपाल दास
14	16	2/12	21112	श्री सुण्डलास बिलडर्स
15	20	2/12	43842	श्री भजन सिंह
16	22	2/10	1107	बी0एस0एन0एल0 को दूरभाष के बिल की एवज में भुगतान
17	25	2/10	5000	समाचार पत्र. पंजाब विज्ञापन दिए जाने पर
18	16	6/09	492682	मैसर्ज गोविन्द इन्टरप्राईजिज को भुगतान
19	17	7/09	483570	मैसर्ज गोविन्द इन्टरप्राईजिज को भुगतान

34 (क) कार्य की गुणवता के सत्यापन किए बिना ही भुगतान किए जानें बारेः–

वाउचर संख्या 14 दिनांक 15.2.11 के तहत ₹415480/–का भुगतान Centre for development communication को माह जनवरी 2011 में विभिन्न वार्ड में साफ सफाई के कार्य करवानें की एवज में किया गया था परन्तु भुगतान करने से पूर्व अनिवार्य औपचारिकता पूरी नहीं की गई थी। यह भुगतान करने से पूर्व नगर परिषद के सम्बन्धित वार्ड मेम्बर द्वारा नियमानुसार यह सत्यापन नहीं किया गया था कि उनके वार्ड में साफ सफाई का कार्य सन्तोषप्रद किया गया था। अतः यह अनिवार्य औपचारिकता बिना पूरी किए ही भुगतान करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाएं।

(ख) सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना ही भुगतान किए जानें बारेः–

निम्नलिखित प्रकरणों में सक्षम अधिकारी का अनुमोदन के बिना ही भुगतान कर दिया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अनाधिकृत तरीके से किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए अन्यथा दोषी व्यक्ति से राशि की वसूली की जाए। भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

क्र0स0	वा0सं0	दिनांक	राशि	टिप्पणी
1	14	15.2.11	415480	प्रधान तथा कार्यकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं था
2	15	15.2.11	5000	प्रधान तथा कार्यकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं था
3	60	21.12.11	750	कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था।

35 <u>बिना औपचारिकताएं पूर्ण किए विज्ञापन पर ₹94531/– का अनियमित व्ययः–</u>

निम्नलिखित प्रकरणों में परिषद द्वारा अपने ही स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन हेतु ₹94531/– का भुगतान किया गया। नियमानुसार विज्ञापनों को हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय की विज्ञापन शाखा के माध्यम से विज्ञापित किया जाना अपेक्षित था ताकि सरकार द्वारा निर्धारित दरों का लाभ प्राप्त किया जा सके। अतः विज्ञापन को सरकारी संस्था के माध्यम से विज्ञापित न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में

निदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही विज्ञापन जारी किया जाना सुनिचित किया जाए।

क्र0सं0	**वा0सं0**	**माह**	**राशि**	**भुगतान जिसे किया गया**
1	16	11/08	5000	दैनिक भास्कर
2	15	11/09	4800	पंजाब केसरी ग्रुप
3	17	03/09	3200	ट्रिब्यून ट्रस्ट
4	27	03/09	6060	पंजाब केसरी ग्रुप
5	6	04/09	4800	–यथोपरि–
6	11	08/09	4000	दैनिक भास्कर
7	14	09/09	2896	–यथोपरि–
8	7	12/09	5000	–यथोपरि–
9	19	2/10	5000	चोपड़ा पब्लिशिंग हाउस
10	25	2/10	5000	–यथोपरि–
11	16	4/10	10000	पंजाब केसरी
12	17	4/10	10000	पंजाब केसरी
13	18	4/10	5000	पंजाब केसरी
14	6	5/10	10800	पंजाब केसरी
15	66	12/11	2975	शूलिनी समाचार
16	19	2/10	5000	पंजाब केसरी
17	25	2/10	5000	पंजाब केसरी
			94531	

36 प्रतिभूति राशि के भुगतान (Refund) में पाई गई अनियमितताएंः–

वाउचर संख्या 28 माह 2/2012 के तहत श्री भजन सिंह संविदाकार को ₹43842/– का भुगतान प्रतिभूति प्रत्यर्पण के रूप में किया गया वाउचर में यह वर्णित नहीं था की यह प्रतिभूति राशि किस माप पुस्तिका द्वारा काटी गई थी। इस सूचना के अभाव में काटी गई व भुगतान की गई प्रतिभूति राशि की पुष्टि नहीं हो सकी। साथ ही सिक्योरिटी राशि की वापसी (Refund) को न तो कनिष्ट अभियन्ता द्वारा सत्यापित और न ही सक्षम अधिकारी द्वारा

अनुमोदित किया गया था। अतः उपरोक्त अनियमितताएं के दृष्टिगत यह भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। इस बारे में उचित पड़ताल कर वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

37 (क) ₹3078/— अदेय के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावें का भुगतानः—

वाउचर संख्या 9 माह 4/2008 के तहत श्री प्रदीप कुमार लिपिक को ₹3078/— का भुगतान चकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में बिना चिकित्सक की परामर्श पर्ची के किया गया चिकित्सा परिचर्या के नियमों के अनुसार देय/प्रतिपूर्ति योग्य नहीं है। अतः अदेय भुगतान की शीध्र वसूली करके परिषद निधि में जमा किया जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों की पड़ताल पर पाया गया कि वस्तुओं की क्रय से सम्बन्धित बिलों पर हिमाचल प्रदेश सरकार वित (रेगुलेशन) विभाग की अधिसूचना संख्या फिन (सी) ए (3) 5/2005, शिमला—171002 दिनांक 12 अगस्त, 2009 के क्रम संख्या 97 तथा 98 में दिए गए निर्देशों अनुसार प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इन निर्देशों के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्रों का क्रय से सम्बन्धित बिलों पर दिए जाना सुनिश्चित किया जाए।

निर्माण कार्यः—

38 (क) निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्व करने के फलस्वरूप ठेकेदारों से ₹62000/— पैन्लटी वसूल न करनाः—

निम्नलिखित प्रकरणों में ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए गए थें। निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्व करने पर न तो उनसे कार्य आबंटन पत्र की शर्त के अनुसार पैन्लटी की वसूली की गई थी और नही सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु नियमानुसार समय अवधि की बढौतरी की गई थी। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹62000/— कार्य आंबटन के पत्र में दी गई शर्तानुसार निर्धारित दर से पैन्लटी वसूल करके परिषद के खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	वा0सं0 दिनांक	कार्य का नाम	माप पुस्तिका पृ0सं0	कार्य आंबटन पत्र संख्या तथा दिनांक ठेकेदार का नाम	कार्य पूर्ण करने की समय अवधि	जिस तिथि को कार्य समाप्त करना अनिवार्य था।	तिथि जब कार्य पूर्व किया गया	अतिरिक्त समय जो लिया गया	आबंटन पत्र की शर्त संख्या 4 के अनुसार कार्य विलम्ब से पूर्व करने पर देय दण्ड	कुल देय दण्ड
1	6 3/11	C/O Varendha & room in SHAMSHAN GHAT (WARD No. 4 Baddi)	23 261	MC works/99-476 dt. 26.4.10 श्री जसवन्त राय	2 माह	11.7.10	25.11.10	4 माह 14 दिन	₹1000 प्रति दिन विलम्ब हेतु तथा ₹20000 अधिकतम	20000
2	5 3/11	C/O crematorium shed in wshamshan ghat (Word No. 4 Baddi)	25/88	MC works/99-477 dt. 26.4.10 श्री जसवन्त राम	2 माह	11.7.10	10.10.11	लगभग 6 माह	₹500 प्रति दि न विलम्ब हेतु तथा ₹19000 अधिकतम	10000
3	5 2/11	C/) Communtity center building at ward No. 4 & 5	23/50	MC works/99-77_90 dt. 29.1.10 श्री जसवन्त राय	3 माह	14.5.10	14.08.10	लगभग 3 माह	₹1000 प्रति दिन विलम्ब हेतु तथा ₹20000 अधिकतम	20000
4	6 2/11	C/O M/road from Nichli Juddi to upperli juddi Kallan	22/85	MC works/99-77_90 dt. 29.1.10 श्री यशपाल	3 माह	14.5.10	15.10.10	लगभग 5 माह	₹500 प्रति दिन विलम्ब हेतु तथा ₹10000 अधिकतम	10000

5	13 2/11	C/) Cement concrete road to have of Sh. Naresh Kumar ward No. 9	25/75	MC works/ 99-6099 dt. 29.6.10 श्री जसवन्त राय	2 माह	14.9.10	18.9.10	चार पिन	₹500 प्रति दिन विलम्ब हेतु तथा ₹10000 अधिकतम	2000 (500X4)
									कुल योग	62000

(2) ₹39175/– का अनुचित भुगतानः–

अंकक्षण के दौरान निर्माण कार्य "कन्स्ट्रकशन ऑफ रोड एण्ड स्ट्रीटस विद इन्टरलोकिंग टाईलस फरोम द हाऊस ऑफ श्री सुभाष टू जुडडी कलां, वार्ड संख्या 5" निर्माण कार्य से सम्बन्धित बिल की पड़ताल के दौरान निम्क्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:–

(क) निर्माण कार्य की मद संख्या 1 (लेईंग ऑफ इन्टर लोकिंग टाईलस) की माप पुस्तिका माप पुस्तिका संख्या 24 पृष्ठ 64 से 66 के वास्तविक निष्पादित मात्रा 9541.86 वर्ग फीट बनती है। माप पुस्तिका में गलत गणनाओं के कारण यह मात्रा 10389.31 वर्ग फीट दर्शाई गई थी। अर्थात वास्तविक निष्पादित मात्रा से 847.95 वर्ग फीट (10389.31–9541.86) अधिक है। परिणास्वरूप ठेकेदार को 3814/– (847.45 वर्ग फीट X4.50 प्रति वर्ग फीट) का अधिक/अनुचित भुगतान किया गया।

(ख) निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु नगर परिषद ने ठेकेदार को इन्टरलोकिंग टाईल (80 एमएम) जारी की थी तथा नगर परिषद द्वारा बनाए गए विश्लेशण (nalysis) के अनुसार 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में इन टूट–फूट सहित 38 टाईलस की खपत होती है। उपरोक्त निर्माण कार्य के मद संख्या 1 में कार्य की निष्पादित मात्रा गत गणना के कारण 847.45 वर्ग फीट अधिक दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप इतने ही क्षेत्र 78.76 वर्ग मीटर (847.45 वर्ग फीट÷10.76) पर 2993 टाईलस (78.76 वर्ग मीटरX38टाईलस प्रति वर्ग मीटर) जिनका मूल्य 32998/– (2993 टाईलसX 9.80 प्रति टाईल+ 12.5 प्रतिशत वैट) की खपत अनुचित रूप से अधिक दर्शाई गई।

(ग) उक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु नगर परिषद द्वारा ठेकेदार को रेत भी जारी की थी। उपरोक्त पैरा (i) में दिए गए विवरण के अनुसार निर्माण कार्य के मद संख्या (1) में कार्य की निष्पादित मात्रा 847.45 वर्ग फीट अधिक दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप 7.876 घन मीटर (847.95 वर्ग फीट ÷10.76X0.10 रेत की सतह की मोटाई) रेत जिसका 2363/– (7.876 घन मीटरX300 प्रति घन मीटर की खपत अनुचित रूप से अधिक दर्शाई गई। अतः उपरोक्त

सम्भावित अधिक भुगतान किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹39975 (3814+32998+2363) की वसूली उचित स्त्रोत से करके परिषद खाते में जमा करवाया जाए।

(3) निर्माण कार्य में मद विनिर्देश (Specification) को परिवर्तित करने के कारण ₹1375 की हानिः–

वाउचर सख्या 7 माह 1/09 द्वारा श्री यशपाल संविदाकार को निर्माण कार्य "क्र0/आफ आर वाल टू एम0रोड फरोम बददी साई रोड डकनू भाजरा इन बोर्ड नं0 –8 के लिए ₹417707/– का भुगतान किया गया। निर्माण कार्य के भुगतान की पड़ताल में पाया गया कि परिषद द्वारा अनुंमोदित DNIT की मद की विनिर्देश (Specification) को अपने ही स्तर पर बिना सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार मद की अनुमोदित विनिर्दिशन (Specification) के परिवर्तन के कारण संविदाकार को 1375 का अनुचित लाभ पंहुचाया गया जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः अनाधिकृत तरीके से किए भुगतान को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए अन्यथा राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	**मद सं0/नाम**	**मद की अनुमोदित विनिर्देशन (Approval Specification)**	**मद की निष्पादित विनिर्देशन (Specification)**	**परिवर्तन के कारण निष्पादित अधिक मात्रा**
1	(2)पी0/एल0सी0सी0 1:6:12 एण्ड क्युरिंग कम्पलीट	ल0Xचौ0Xऊ0 140.5X1.2X0.1=16.86 घन मी0	ल0Xचौ0Xऊ0 140.5X1.3X0.1=18.26 घन मी0	1.4 घन मी0 दर 982.10 प्रति घन मी0
			अधिक भुगतान 1375	

(4) ठेकेदार को ₹1000/– का अधिक भुगतानः–

वाऊचर संख्या 10 दिनांक 2/10 के अनुसार (श्री राजेश कुमार) संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹104941/–देय बनते थेः–

क्र0सं0	कार्य का नाम	देय राशि (₹)
1	C/O Road & street with interlocking tiles in ward No. 4 & 5	41672
2	C/O Road with interlocking tiles from n/o Sh. Subham	46752
3	C/O road with iterloking tiles	16517
	कुल	**104941**

परन्तु उक्त संविदाकार को ₹104941/–के एवज में ₹105941/–का भुगतान चैक संख्या 102676 दिनांक 6.2.10 द्वारा किया गया। परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹1000/–(105941–104941) का अधिक भुगतान किया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 उचित स्त्रोत से ₹1000/–वसूल करके परिषद खाते में जमा करवाया जाए।

(5) ठेकेदारों को ₹746/–का अधिक भुगतान किए जाने बारेः–

निम्नलिखित प्रकरणों में माप पुस्तिकाओं में गलत गणनाओं के फलस्वरूप संविदाकारों को ₹746/– का अधिक भुगतान किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उचित स्त्रोत से राशि की वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाया जाए।

क्र0 सं0	वा0सं0	माप पुस्तिका सं0/पृ0 सं0	कार्य का नाम	मद का नाम	माप पुस्तिका में ली गई मात्रा	वास्तविक मात्रा	अधिक ली गई मात्रा	मद का भाव	अधिक भुगतान (₹)
1	6 2/10	23/19	Development of Dushera ground HBC, Ph-III, Baddi	15mm thick cement plaster in single coat on rough/fair side of brick	596.67 मी0	592.67 मी0	4.80 मी0	130 प्रति मी0	520 (4X130)
2	8 3/11	25/72	Painting&Distempring of 520, Phare-I HBC, Baddi	Dirtenpring two coat with oil pond	15.96 मी0	9.12 मी0	684 मी0	33 प्रति मी0	226 (6. 84X33)
							कुल योग		746

(6) निर्माण कार्यो से सम्बन्धित बिलों से नियमानुसार आवश्यक कटौतियॉ न किए जाने के सम्बन्ध में:–

निम्नलिखित प्रकरणों में ठेकेदारों को उनके द्वारा निष्पादित कार्यों की एवज में किए गए भुगतान बिलों से नियमानुसार आय कर तथा प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति की कटौतियां नहीं की गई थी यह अनियमित है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

क्र0 सं0	कार्य का नाम/ठेकेदार का नाम	वा0सं0 दिनांक	माप पुस्तिका सं0 पृ0सं0	कुल भुगतान की राशि	आय कर कटौती जो नहीं की गई (2.24%)	प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति जिसकी कटौती नहीं की गई (₹)
1	C/O road with interlocking tiles in ward No. 4 & 5 , MC, Baddi/श्री राजेश कुमार	10 2/10	24 63 से 64 तक	41672	933	4167
2	C/O road & street from house of Sh. Subhash (Ward No. 5) Baddi/श्री राजेश कुमार	10 2/10	24 64 से 66 तक	46752	1047	4675
3	C/O road with interlocking tiles near baba balak Nath mandir in HBC, Ph-III, Khurd/श्री राजेश कुमार	10 2/10	24 66 से 67 तक	16517	370	1652
4	Laying of C.C. Doumbled interlocking tiles in W/No 5 Judi Khurd/श्री राजेश कुमार	9 01/09	20/98	50916	1141	5091
5	Laying of Doumbled tiles in W/No. 8 Billanwali Labana/श्री राजेश कुमार	20 1/09	22/16 से 18 तक	27272	611	2727
6	C/O road with interlocking tiles from Sh. Mani Ram	31 2/10	23/20 से 22	35664	799	3566

(7) निर्माण कार्यों के भुगतान में से आयकर व बिक्री कर की कटौतीयों को समय पर जमा न करवानाः—

निर्माण कार्यों के वाउचरों की पड़ताल में पाया गया के निर्माण कार्यों के भुगतान बिलों से आयकर व बिक्री कर की जा रही कटौति की राशि को सम्बन्धित विभागों में जमा करवाने बारे कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। चर्चा के दौरान यह बतलाया गया कि इन कटौतियों को वर्ष में एक या दो बार (सभी वाउचरों की) सम्मिलित रूप से एक वाउचर बनाकर जमा करवाया जाता है। यह अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। नियमानुसार राशि समयबध जमा न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए। इस सम्बन्ध में कटौती की गई समस्त राशि अभिलम्ब जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा में अवगत करवाया जाए।

(8) माप पुस्तिका में विस्तृत विवरण/गणनाएं दर्ज किए बिना ₹17018/—का भुगतान किए जाने बारेः—

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में कार्यों के निष्पादन के दौरान इस्तेमाल हुई वस्तुओं की मात्रा की खपत एक मुश्त में दर्शा दी गई थी जबकि खपत से सम्बन्धित विस्तृत विवरण/गणनाएं **(depailedmesudements)** नियमानुसार दर्ज नहीं की गई थी यह अनियमित है। विस्तृत विवरण/गणनाएं दर्ज न होने के परिणामस्वरूप इन वस्तुओं की वास्तव में ही इतनी खपत हुई इसका सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ—2 नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए।

क्र0सं0	वा0सं0 दिनांक	कार्य का नाम	माप पुस्तिका सं0/पृ0सं0	मद का नाम	वस्तु की खपत/मात्रा जो कि बिना विस्तृत विवरण/गणनांए दर्ज किए दर्शा दी गई	राशि का भुगतान जो किया गया (₹)
1	2 2/10	Providing street light system in ward No. 1, 8& 9 Baddi	24/42	P/F 6SWG G.I wire	मद का भाव (₹) 769.80 RMT 12 प्रति RMT	9238
2	2 2/10	Providing street light 1x40 wall fixture in card No.8	24 46	—यथोपरि—	778.00RMT 10/—RMT	7780
					कुल	**17018**

(9) दर विश्लेषण तथा विभागीय औचित्य तैयार किए बिना ही ₹35109/—की अतिरिक्त मदों (Extra items) का भुगतान किए जाने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्यो से सम्बन्धित बिलों की पड़ताल पर पाया गया कि निम्नलिखित अतिरिक्त मद जोकि निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान आवश्यकतानुसार ठेकेदारों को स्वीकृत किए गए थे परन्तु उनकी स्वीकृति से पूर्व नियमानुसार दर विश्लेषण (analysis of rate) तथा विभागीय औचित्य (Justification of rate) नहीं बनाये गये थे जिस कारण देय दरों के सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ—2 इन अतिरिक्त मदों का दर विश्लेषण तथा विभागीय औचित्य तैयार करवाया जाए तथा स्वीकृत दरों के साथ इसकी तुलना की जाए। तुलना उपरान्त स्वीकृत दरें यदि अधिक पाई जाती है तो अन्तर राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत कराया जाए तथा भविष्य में अतिरिक्त मद स्वीकृत करने से पूर्व उनका दर विश्लेषण तथा विभागीय औचित्य तैयार किए जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	वा0सं0 दिनांक	माप पुस्तिका सं0 / पृ0सं0	कार्य का नाम	अतिरिक्त वस्तु का विवरण	अतिरिक्त वस्तु का स्वीकृत मूल्य (₹)	कुल भुगतान (₹)
1	5 3 / 11	25 / 91	C/O cremation shed in ward No. 4	Providing tor steel for R.C. works	कुल मात्रा 45 प्रति किलो 330.20 किलो	14859 (330.20x45)
2	1 3 / 11	23 / 72	P/L interlocking tiles in different streets, ward No. 9	Laying cement concrete pipe on first class bedding	900 प्रति मीटर 5 मीटर	4500 (5x900)
3	7 2 / 11	23 / 49	P/L interlocking tiles in different wards, ward No.-6	P/L reinforced C.C pipe for culvorts	900 प्रति मीटर 17.5 मीटर	15750 (17.5X900)
					कुल योग	**35109**

(10) रेत (sand) की क्रय, खपत तथा शेष से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने बारेः–

निम्नलिखित प्रकरणों में कार्यों के निष्पादन हेतु ठेकेदार को नगर परिषद द्वारा रेत उपलब्ध करवाई गई थी परन्तु वह अभिलेख जिसमें रेत की प्राप्ति जारी तथा शेष से सम्बन्धित प्रविष्टियां दर्ज थी वह अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण इन कार्यों के दौरान हुई रेत की खपत तथा अभिलेख में दर्शाई गई खपत का मिलान तथा इस तथ्य का सत्यापन कि अभिलेख में दर्शाई गई खपत की सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 आगामी अंकेक्षण पर यह अभिलेख आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	वा0सं0 / दिनांक	राशि (₹)	कार्य का नाम	माप पुस्तिका सं0	रेत की दर्शाई गई खपत
1	10 2 / 10	41672 (वाउचर की कुल राशि ₹105941)	C/O road & streets with interlocking tiles ward No. 4&5	24	86.048 मी03
2	10 2 / 10	46752 (वाउचर की कुल राशि ₹105941)	-do- (Ward No. From house of Sh. Subhah	24	96.555 मी03
3	10 2 / 10	16517 (वा0 की कुल राशि ₹105941)	-do- Near Babu balak Nath temple HBC, -Phara-III	24	34.111 मी03
4	31 2 / 10	35664	-do- fromhouse of Sh. Mani Ram	23	79.25 मी03

(11) सीमेन्ट की पूर्ति नगर परिषद द्वारा विभागीय तौर पर न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न निर्माण कार्यों में सीमेन्ट का उपयोग ठेकेदारों द्वारा अपने स्तर पर ही किया गया जबकि निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या यू0डी0–एच(एफ0)(10)–2 / 2005–9750–9800 दिनांक 05.09.2005 द्वारा परामर्श दिया गया था कि सीमेन्ट, स्टील आदि की आपूर्ति ठेकेदार को सम्बन्धित पालिका द्वारा अपने स्तर पर की जाए ताकि कार्य की गुणवता प्रभावित न हो लेकिन इन प्रकरणों में उपरोक्त निर्देशों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा शहरी निदेशालय द्वारा जारी अनुदेशों की अनुपालना न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

वा0सं0 / माह	निमार्ण कार्य का नाम	निर्माण कार्य का मूल्य	ठेकेदार का नाम
07 01 / 09	C/O R/Wall to M/Road from Baddi Sai Road to Dhaknu Mmajra-w/No 8	48612	Sh. YashPal
07 01 / 09	C/O Road side drain H/o Sh. Man singh to H/O Sh. Hem Raj-W/No. 8	115322	Sh. YashPal

07 01/09	C/O C.C. Road road from Baddi Sai Road to H/O Sh. sarbjeet Singh Ahuja-W.No.7	121261		Sh. YashPal

(12) ठेकेदारों को आंबटित निर्माण कार्यों की दरों में भिन्नता बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि एक ही प्रवृति के निम्न वर्णित निर्माण कार्य जोकि विभिन्न ठेकेदारों को एक ही तिथि में आंबटित किए गए थे, की दरों में भिन्नता पाई गई जिन्हें न्यायोचित ठहराने हेतु कोई विभागीय औचित्य भी तैयार नहीं किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख अब तैयार किया जाए व आवश्यक जांच हेतु आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

क्र0सं0	वा0सं0	कार्य का नाम	कार्य आंबटन पत्र संख्या तथा दिनांक	DNIT/आंकलन के अनुसार कार्य की लागत (₹)	राशि जितने में कार्य आंबटित किया गया	(%) जितना नीचे कार्य आंबटित किया गया
1	9 2/11	P/L interlocking tiles in ward No. 2	MC/works-99 766 dt. 24-9-10	334491	290768	(–)13.07**%**
2	11 2/11	P/L interlocking tiles in ward No.5	MC/Works-99, 769 dt 24.9.10	769189	675362	(–)12.19**%**
3	10 2/11	P/L in ward No. 7	MC/works-99 772 dt dt. 24.9.10	155765	136675	(–)12.25**%**
4	12 2/11	P/L interlocking tiles in ward No. 1	MC/Works-99 765 dt. 24.9.10	683973	575179	(–)15.90**%**

(13) टैण्डर नोटिस के समाचार पत्रों में विज्ञापन के सम्बन्ध/प्रमाण में समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध न करनाः–

निम्न निर्माण कार्यों के टैण्डर नोटिस का विज्ञापन समाचार पत्र के माध्यम से करने के प्रमाण में समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई परिणाम स्वरूप इन्हें समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापित करने की पुष्टि नहीं हो सकी। सम्बन्धित समाचार पत्र की प्रति तलाश कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वा0सं0 / माह	निर्माण कार्य की लागत	निर्माण का नाम	ठेकेदार का नाम
12 01 / 09	250606	Providing street lighting in ward-I	M/S Kumar Electronic Co.
07 01 / 09	483612	C/O R/Wall to M/Road from Baddi Baddi Sai Road to Dhaknu Majra-w.No. 8	Sh. YashPal
07 01 / 09	115322	C/O Road side drain H/O Sh. Man Singh to H/O Sh. Hem Raj-W.No. 8	Sh. YashPal
07 01 / 09	121261	C/O. C.C. Road from Baddi Sai Road to h/O Sh. Sarbjeet Singh Ahuja-W.No.-7	Sh. YashPal
06 01 / 09	134842	Line Maintenance of street light system in M.C. Baddi	M/S Kumar electronic Co.
05 01 / 09	265400	Prov. main Panel sub Panel sop cable & in IDSMT Baddi	-do-
05 01 / 09	68245	Prov. Street Light in Different woard of MC Baddi	M/S Kumar electronic Co.

(14) निर्माण कार्य का नामः–प्रोवाईडिंग एण्ड लैईंग इन्टरलॉकिंग टाईलस इन डिफरेन्ट स्ट्रीटस ऑफ वार्ड नम्बर 5 (P/L interlocking of ward no. 5)

संविदा / कार्य प्रदान पत्र संख्याः'– 99–768 दिनांक 24.9.10

ठेकेदार का नामः– मैसर्ज सण्डलास बिलर्डस प्राईवैट लिमिटेड, बददी

वाउचर संख्या, दिनांक तथा राशिः– 5 दिनांक 12.12.10 ₹968827 / –

राशि जितने पर कार्य प्रदान किया गयाः– ₹1231512

माप पुस्तिका सं0ः–22

(क) सम्बन्धित दरों का विभागीय औचित्य (Justificaion of rates) एवं दर विश्लेषण जिसके आधार पर ठेकेदार द्वारा दी गई दरों को न्याय संगत माना गया अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाये गयें।

(ख) निर्माण कार्य की मद संख्या 2 (P/L C. concrete 1:4:8) की माप पुस्तिका पृ0 संख्या 84 पर दर्ज प्रविष्टियां की गणना अनुसार वास्तविक निष्पादित मात्रा 19.20 घन मीटर बनती है जबकि ठेकेदार को 19.64 घन मीटर मात्रा का भुगतान किया गया। फलस्वरूप ₹880/– (0.44 घन मीटर (19.64–19.20)X2000 प्रति घन मीटर) का अनुचित भुगतान किया गया था।

(ग) कार्य के आंकलन के अनुसार निर्माण कार्य में कुल 7 मद थे जिनका ठेकेदार द्वारा निष्पादन किया जाना था परन्तु कार्य की समाप्ति पर 7 में से 5 मद ही निष्पादित किए गए थे। लेकिन संधोशित प्लान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इसकी औचित्यता स्पष्ट होती।

(घ) निर्माण कार्य ₹1231512/–का आंबटित किया गया था वास्तव में केवल ₹968827/'का निष्पादित किया गया। फलस्वरूप अन्त में (–)₹262685/–, ₹(–)21.33**%** विचलन पाई गई। नियमानुसार विचलन की यह राशि सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित नहीं करवाई गई।

(ङ) टैण्डर रजिस्टर (6) की पृष्ठ संख्या 19 पर दर्ज इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रविष्टियां प्रधान तथा कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थी।

(च) उक्त कार्य की समाचार पत्र में निविदाऐं प्रकाशन करने की पुष्टि में कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(छ) प्रस्ताव (resolution) जिसके द्वारा नगर परिषद सदन में यह कार्य करवाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया था वह बार–2 आग्रह करने के बावजूद आवश्यक जांच (Conjumption on statement of material) हेतु प्रस्तुत नहीं किया गयां।

(ज) कार्य में प्रयुक्त की गई सामग्री की खपत विवरणिका आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नही की गई। इससे यह भी प्रतीत होता है कि इसे बनाया ही नहीं जा रहा है। इस विवरणिका के अभाव में निर्माण कार्य में निर्माण सामग्री की उचित मात्रा का उपयोग किया गया या नहीं इस तथ्य का सत्यापन नहीं किया जा सका।

(झ) निर्माण कार्य से सम्बन्धित किए गए भुगतान में से नियमानुसार अनिवार्य रोयल्टी की निर्धारित/विहित दरों पर कटौती नहीं की गई।

अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 ₹880/–की उचित स्त्रोत से वसूली तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत कराया जाए तथा भविश्य में इनकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(15) निर्माण कार्य का शीर्षः– इन्सटालैशन ऑफ 5 नम्बर हैण्ड पम्पस इन डिफरैन्ट वार्डस ऑफ एम0सी0 बददी

(Installation of 5 No. Hand pumps in different ward of M.C. Baddi)

संविद / कार्य प्रदान पत्र संख्याः– 2008–14–41 दिनांक 2.1.08

ठेकेदार का नामः– मैसर्ज हरि ओम ड्रील सर्विस

वाउचर संख्या तथा दिनांकः– 7 दिनांक 02.04.08 ₹750043

राशि जितने पर कार्य प्रदान किया गया थाः– ₹883050

माप पुस्तिका सं0ः– 20

उपरोक्त कार्य की विस्तृत पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई गईः–

(क) संविदाकार को कार्य आंबटन आदेश जारी करने से पूर्व संविदा के मूल्य की न्यायसंगत जांच हेतु जो औचित्यता आंकी गई, अंकेक्षण में दर विश्लेषण सहित प्रस्तुत नहीं की गई। प्रांकलन की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति भी अंकेक्षण में नहीं दिखाई गई।

(ख) नस्ति में संलग्न तुलनात्मक विवरणी में दिए गए विवरण के अनुसार निर्माण कार्य में कुल 10 मद थे जिनका ठेकेदार द्वारा निष्पादन किया जाना था परन्तु कार्य की समाप्ति पर 10 में से केवल 6 मदों का निष्पादन किया गया पाया गया था लेकिन नियमानुसार संशोधित प्लान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे इसकी औचित्यता स्पष्ट होती।

(ग) निर्माण कार्य में (–) ₹133007 / – (–15%) विचलन पाई गई। नियमानुसार विचलन की यह राशि सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाई जानी अनिवार्य थी जो कि नहीं करवाई गई थी।

(घ) नियमानुसार सक्षम अधिकारी / कर्मचारी द्वारा टैण्डर खोलते समय लिफाफे पर हस्ताक्षर / तिथि अंकित की जानी अनिवार्य है परन्तु टैन्डर के खाली लिफाफों अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई।

(ङ) नस्ति में संलग्न तुलनात्मक विवरणी (Comparative statement of rates) नगर परिषद प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थी।

(च) टैण्डर रजिस्टर (4) की पृष्ठ संख्या 108 पर इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रविष्टियां नगर परिषद अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थी।

(छ) प्रस्ताव (revolution) जिसके द्वारा नगर परिषद सदन ने यह कार्य करवाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया था वह कई बार आग्रह करने के बावजूद अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त अनियमितताऐं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए। भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(16) निर्माण कार्य का नामः– क्रं0 आफ रोड फरोम श्याम स्वीट शोप टू हरीपुर संढ़ोली बाई पास रोड इन वार्ड नं0 1

संविदाकार का नामः– श्री हंस राज

माप पुस्तिका संख्याः– 24 (पृष्ठ 6 से 12)

संविदा संख्याः–95–113 दिनांक 28.2.09

वा0सं0ः–13

माह 05/09

प्राकल्लन राशिः– ₹380239

आंबटित राशिः– ₹823469

कुल भुगतानः–₹926138

उपरोक्त निर्माण कार्य कि विस्तृत पड़ताल में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गईः–

(क) तकनीकी स्वीकृति के अनुसार कार्य की प्राकलन राशि ₹380239/–थी परन्तु संविदाकार को कार्य का आंबटन ₹823469/–का किया गया जो कि तकनीकी स्वीकृति/प्राकलन राशि से 116.56**%** अधिक था। निर्माण कार्य को 116.56**%** अधिक/प्रीमियम पर आबंटित किया गया परन्तु इतने अधिक प्रीमियम पर कार्य को आंबटित करने के पक्ष में कोई भी दर औचित्य/विशलेषण (Justification of Rates) तैयार नहीं किया गया था जिस कारण आंबटित दरों की सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी की वह वर्तमान दरों के अनुरूप थी या नही? अतः दर विशलेषण तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अपेक्षित कार्यवाही अब करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) कार्य का आंबटन ₹823469/–में किया गया था परन्तु संविदाकार को भुगतान ₹926138/– का किया गया। इस प्रकार कार्य के भुगतान/निष्पादन में लगभग 12.50**%** की अधिक विचलन (Deviation) थी जिसे नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया

गया था। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अपेक्षित कार्यवाही अब करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

(ग) कार्य में प्रयुक्त हुई सामग्री जैसे की तारकोल बजरी आदि की कोई भी खपत विवरणिका न तो माप पुस्तिका में और न ही भुगतान वाउचर में बनाई हुई पाई गई जिसके अभाव में यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि निर्माण कार्य में निर्धारित गुणवता/मापदंडो के अनुसार सामग्री का प्रयोग किया गया है। खपत विवरणिका तैयार न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(घ) नियमानुसार परिषद को निर्माण सामग्री की आपूर्ति अपने स्तर पर की जानी अपेक्षित थी ताकि कार्य की गुणवता को बनाया रखा जा सके। परन्तु निर्माण कार्य में विभागीय स्तर पर कोई भी निर्माण सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई गई जिस बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए।

(ङ) संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त हुई सामग्री के क्रय के पक्ष में कोई भी बिल प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में यह पुष्टि नहीं की जा सकी की सामग्री का क्रय उचित मात्रा व सही स्त्रोत से किया गया है या नहीं। संविदाकार से सामग्री क्रय के पक्ष में बिल न प्राप्त करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(च) टैन्डर संख्या 19–24 दिनांक 16.1.09 के अनुसार टैन्डर 31.1.09 तक कार्यालय में पहुंचने चाहिए थे परन्तु टैन्डरों की पड़ताल में पाया गया कि टैन्डरों के लिफाफों पर यह अंकित नहीं था कि इन्हें कार्यालय में कब प्राप्त किया गया जिसके अभाव में यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि टैन्डर तयशुदा अवधि में से कार्यालय में पहुंच गए थे या नहीं? अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(छ) नियमानुसार रोयलटी व श्रम उपकर की कटौती न करनाः–

निर्माण कार्य के भुगतान में से नियमानुसार रोयल्टी व श्रम उपकर की कटौती नहीं की गई थी जबकि इनकी कटौती नियमानुसार की जानी आवश्यक थी। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(17) निर्माण कार्य का नामः– क्र/आफ रोड विद इंटरलोकिंग टाईल्स फरोम बिरला गेट टू अबोट कलोनी–वा0नं0–7

संविदाकार का नामः–श्री बलबीत सिंह

माप पुस्तिका संख्याः– 25 (पृष्ठ 96 से 98)

संविदा संख्याः– 2981 दिनांक 22.12.11

वा0 संख्या/माहः–17 माह 02/12

प्राक्कलन राशिः–₹994191

आंबटित राशिः– ₹700475

कुल भुगतानः–₹580670

उपरोक्त निर्माण कार्य की विस्तृत पड़ताल में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) तकनीकी स्वीकृति के अनुसार कार्य की प्राक्कलन राशि ₹994191.00 थी परन्तु संविदाकार को कार्य का आंबटन ₹700475.00 का किया गया जो कि प्राक्कलन राशि से ₹293716.00 29. 54**%** कम थी। प्राक्कलन राशि से इतने कम दर पर कार्य को आंबटित करने के पक्ष में कोई भी दर विशलेषण तैयार नहीं किया गया था जिस कारण आंबटित राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी कि वह वर्तमान दरों के अनुरूप थी? अतः इस त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) कार्य का आंबटन ₹700475/–के लिए किया गया था। परन्तु संविदाकार को भुगतान ₹580670/–के लिए किया गया। इस प्रकार निर्माण कार्य के निष्पादन में लगभग (–)17.10**%** की विचलन थी। इसे नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अपेक्षित कार्यवाही अब करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) कार्य में प्रयुक्त की गई सामग्री की कोई भी खपत विवरणिका सम्बन्धित माप पुस्तिका व भुगतान वाउचर में बनाई हुई नहीं पाई गई जिसके अभाव में यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि निर्माण कार्य में निर्धारित गुणवता/मापदंडों के अनुसार सामग्री का प्रयोग किया गया है। अतः इस त्रुटि बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(घ) विभागीय तौर पर सामग्री उपलब्ध न करवानाः–

नियमानुसार निर्माण सामग्री की आपूर्ति विभागीय रूप से की जानी अपेक्षित थी ताकि कार्य की गुणवता को बनाया रखा जा सके परन्तु निर्माण कार्य में विभागीय स्त्तर पर कोई भी निर्माण सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ङ) निर्माण कार्य के भुगतान में से नियमानुसार रोयलटी श्रम उपकर की कटौती निर्धारित दरों पर की जानी अपेक्षित थी जो कि नहीं की गई थी। अतः पाई गई इस त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(च) समाचार पत्रों में विज्ञापन की प्रति उपलब्ध न करवानाः–

मौखिक रूप से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि निर्माण कार्य के टैण्डर नोटिस को समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाया गया था परन्तु समाचार पत्र की प्रति अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जिससे की विज्ञापन की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित समाचार पत्र की प्रति तलाश कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(छ) निर्माण कार्य के लिए नगर परिषद की स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। जिसें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए इसके अतिरिक्त संविदाकार से भुगतान के पक्ष में रसीद भी प्राप्त की जाए।

(18) निर्माण कार्य का नामः– प्रोवाइडिंग स्टरीट लाईट इन वा0नं0–1–बददी

संविदाकार का नामः– मै0 कुमार इलैक्ट्रोनिक क0

माप पुस्तिका सं0ः–22

आंबटन की तिथिः– 10.12.08

संविदा संख्याः–659 दिनांक 10.12.08

आबंटित राशिः– 248990

वाउचर संख्याः–12

माह :–01/2009

उपरोक्त निर्माण कार्य की पड़ताल में निम्नलिखित कमियां पाई गईः–

(क) भुगतान वाउचर को न तो कार्यकारी अधिकारी और नही प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। अतः बिना सक्षम अधिकारियों के सत्यापित किए भुगतान किया जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

इस निर्माण कार्य हेतु तकनीकी, प्रशासनिक, व परिषद की स्वीकृत अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे यह प्रतीत होता है कि तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त ही नहीं की गई थी। यह अनियमित है इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व व्यय को सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति प्रप्त कर नियमित करवाया जाए।

(19) निर्माण कार्यों का विभागीय औचित्य तैयार न किए जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों के अवलोकन पर पाया गया कि निर्माण कार्यों को आंबटन एच0पी0एस0.आर–1999 पर प्रीमियम जमा करके अनुमानित आधार पर किया जा रहा है तथा निर्माण कार्यों का विभागीय औचित्य जोकि नियमानुसार बनाना अनिवार्य है वह नहीं बनाया जा रहा है। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरणों का विवरण नीचे दिया गया है। विभागीय औचित्य तैयार न करने के फलस्वरूप जितने प्रीमियम पर कार्यों का आंबटन किया गया इस तथ्य का सत्यापन कि पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अपेक्षित अभिलेख अब तैयार करके आवश्यक जांच हेतु अंकेखण में प्रस्तुत किया जाए।

क्र0सं0	वा0सं0	कार्य का नाम	कार्य आंबटन पत्र संख्या तथा दिनांक माप पुस्तिका सं0	DNIT/ आंकलन के अनुसार कार्य की लागत	राशि जितने पर कार्यप्रदान किया गया	प्रीमियम % जितने अधक दर कार्य प्रदान किया गया
1	28 2／10	C0O Paraphit wall including railing in ward No 2	MC works-99-77-90, 20.01.10/24	61812	118530	92%
2	15 2／10	C/O Pavement of streets in ward No. 6	MC works-99-2079 dt-30.12.09/24	128241	182655	42%
3	6 2／10	C/O Retaining wall on both rides of road to H/O Sh. Chet Ram (Ward No-3)	MC-works-99No.2070-73 dt. 12/09/24	63761	83876	32%
4	6 2／10	Development of Dushehra ground ward No.9	MC-works-99No 2070-73 dt. 26-12-09 /23	329526	648251	97%
5	16 2／10	C/O Pard near N/O Sh. T.R. Sharma,. H.No. 25, HBC,	MC works-99-91-96 dt 30-5-07/24	127155	198362	56%

		Phare-II				
6	7 01/09	C/O Retaining wall to m/Road from Baddi Sai Road to Dhakru Majra Ward No.-8	MC-works 14-41 dt. 2-01-08/20	345437	483612	40%
7	13 05/09	C/O M/Road from Shayam sweet shop to Haipur Sandholi bye pass road in ward No.I	MC-Works-99-95-113 dt. 28-02-09/24	380239	823469	117%

20 निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की खपत विवरणिका तैयार न करनाः–

निर्माण कार्यों की पड़ताल में पाया गया कि निर्माण का कार्यो में प्रयुक्त हुए सीमेन्ट एवं अन्य सामग्री की कोई भी खपत विवरणिका (Consumption Statement) तकनीकी शाखा द्वारा माप पुस्तिका एवं भुगतान वाउचर में दर्ज नहीं की गई थी। सीमेन्ट/स्टील विभागीय रूप से उपलब्ध न करवाने के कारण संविदाकार ने कितना सीमेन्ट/स्टील बाजार से क्रय किया के पक्ष में भी कोई भी बिल प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि निर्माण कार्य में सैद्वान्तिक (Theoretical) व वास्तविक सीमेन्ट खपत क्या थी और दोनों में कितना अन्तर था। अतः उक्त सूचना के अभाव में यह पुष्टि नहीं हो सकी की संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य में नियमानुसार उचित मात्रा में सीमेन्ट/स्टील का प्रयोग किया गया था या नहीं एवं निर्माण कार्य निर्धारित गुणवता के अनुसार था? इस अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए व अपेक्षित अभिलेख अब तैयार करके आगामी अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत करें।

(21) निर्माण कार्यों के भुगतान में से श्रम उपकर की कटौती न करनाः–

पंजीयन अधिकारी, उपकर संग्रहक व श्रम अधिकारी, सोलन अंचल, हिमाचल प्रदेश क पत्र संख्या Lo(SLN)B&C Act/09-/006-35 दिनांक 05.09.09 के अनुसार प्रदेश में Building and other construction workers (Regulation of Employment & condition of Service) अधिनियम 1996 दिनांक 05.12.2008 से लागू हो गया थां उक्त अधिनियम के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता को उसके द्वारा निर्माण लागत का 1% श्रम उपकर क्षेत्र के उपकर संग्रहक के पास

जमा करवाना आवश्यक है परन्तु नगर परिषद के निर्माण कार्यों के भुगतान वाउचरों की पड़ताल में पाया गया कि परिषद द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना करते हुए भुगतान में से श्रम उपकर नहीं काटा जा रहा था जो कि अनियमित है। इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं परिषद द्वारा अपने स्तर पर निर्माण कार्य के लिए गए भुगतानों में से 1**%** की दर से श्रम उपकर की गणना कर उचित स्त्रोत से वसूली करके एवं उचित अधिकारी के पास जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(22) निर्माण कार्यों के भुगतान में से नियमानुसार रोयल्टी की कटौती न करनाः—

नगर परिषद द्वारा निर्माण कार्यों के भुगतान के वाउचरों की पड़ताल में पाया गया कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे की रेत, बजरी, पत्थर, आदि की आपूर्ति संविदाकार अपने स्तर पर ही कर रहे थे परन्तु इन सामग्री की पूर्ति/क्रय के पक्ष में न तो संविदाकार द्वारा एम0 फार्म प्रस्तुत किया जा रहा था और न ही परिषद द्वारा निर्माण कार्य के भुगतान में से नियमानुसार निर्धारित दर पर रोयल्टी की कटौती की जा रही थी जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों पत्र संख्या इण्ड–II(एफ) 6–5/2006 के अनुसार की जानी अपेक्षित थी। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए भविष्य में रोयल्टी कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

(23) नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताओं तथा विहित प्रक्रिया पूर्ण किए बिना निर्माण कार्यों का निष्पादन किए जाने के सम्बन्ध मेंः—

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्यों के आंबटन से लेकर उनके पूर्ण होने तक नियमानुसार कई आवश्यक औपचारिकताएं तथा विहित प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा रही है जैसे कि निर्माण कार्य से सम्बन्धित विभागीय औचित्य तैयार न करना, टैन्डर खोलते समय टैन्डर रजिस्स्टर पर तथा रेट की तुलनात्मक विवरणी पर सक्षम अधिकारी/पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर न किए जाना, टैन्डर खोलते समय लिफाफे पर टैन्डर खोलने की तिथि सत्यापन न किए जाना, कार्य प्रदान पत्र पर कार्य के निष्पादन से सम्बन्धित नियमों/शर्तों का पूरा न भरा जाना, कार्य रजिस्टर, प्रतिभूति प्रतिदाप रजिस्टर तथा कोन्ट्रेक्टर लेजर का अनुरक्षण न किए जाना, बिना विभागीय स्वीकृति के कई प्रकरणों में अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश स्मोल स्केल इण्डस्ट्री कार्पोरेशन की तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन लिया जाना आदि नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताओं तथा विहित प्रक्रिया का पूर्ण न किया जाना एक गम्भीर अनियमिता है आवश्यक अभिलेख नियमानुसार न तैयार करने तथा नगर परिषद इस बारे अपनी स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 भविष्य में इनका

पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित करें। यह प्रकरण परिषद के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

स्थापनाः–

39 **(क) कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में सेवा का सत्यापन (Service Verification) नियमित तौर पर न किए जाने बारेः–**

कर्मचारियों की सेवा पजिकाओं में वार्षिक सेवा का सत्यापन नियमित तौर पर सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा था जैसा कि कुछ उदाहरण नीचे दिए गए है सभी कर्मचारियों की सेवा का सत्यापन नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	अवधि जिसका सत्यापन नहीं किया गया
1	श्री शरीफ मोहम्मद	कनिष्ठ अभियन्ता	10.12.09 से 30.11.10 तक तथा 01.12.11 से अंकेक्षण समाप्ति तक
2	श्रीमती योगिता बाली	लिपिक	03.03.2000 से 31.3.200 तक तथा 01.04.03 से 31.3.2008 तक तथा 01.04.09 से अंकेक्षण समाप्ति तक
3	श्री राम करण	लिपिक	27.9.10 से अंकेक्षण समाप्ति तक
4	श्री जय देव	चपड़ासी	10.12.09 से अंकेक्षण समाप्ति तक

(ख) सेवा पंजिका का नियमानुसार संधारण न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान श्रीमती योगिता बाली, लिपिक की सेवा पंजिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश, शिमला–02 के कार्यालय आदेश संख्या यू0डी0–एच(ए)(1)–1/2000–1041 दिनांक 02.02.2000 द्वारा नियुक्त किया गया। परन्तु इनका दिनांक 04.02.2000 से कोई भी औपचारिक वेतन निर्धारण नहीं किया गया तथा न ही इसे सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी से स्वीकृत/सत्यापित करवाया गया। वेतन निर्धारण की अपेक्षित प्रविष्टियां भी कर्मचारी की वेतन पंजिका में नहीं की गई है जिस कारण चयनित माह में दिए गए वेतन की पुष्टि नहीं की जा सकी। उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार परिषद कार्यालय द्वारा केवल अपने स्तर पर अनौपचारिक वेतन निर्धारण करके भुगतान कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट कि जाए तथा उक्त कर्मचारी का औपचारिक वेतन निर्धारण प्रारम्भ से करके अपेक्षित प्रविष्टियां इनकी सेवा पंजिका

में दर्ज करके समस्त प्रक्रिया को सक्षम प्राधिकारी से नियमानुसार सत्यापित करवाये तथा आवश्यक जांच हेतु आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

(ग) सेवा पंजिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारेः—

निम्नलिखित कर्मचारियों की सेवा पंजिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। परिणामस्वरूप इनकी अपेक्षित जांच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः सेवा पंजिकाएं प्रस्तुत न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं वांन्छित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पद नाम
1	श्री के0एल0 ठाकुर	कार्यकारी अधिकारी
2	श्री राजेश चौधरी	क0 अभियन्ता
3	श्री एच0के0 डोगरा	लिपिक
4	श्री प्रदीप कुमार	लिपिक

(घ) सेवा पंजिकाओं में अवकाश खातों का नियमानुसार सधारण न करनाः—

लेखा परीक्षा में कर्मचारियों के अवकाश खातों की पड़ताल करने पर निम्नलिखित त्रुटियां/अनियमितताएं पाई गईः—

(क) विहित प्रपत्र पर अवकाश के लिए आवेदन नहीं किए जा रहे थे और न ही इन अवकाश की स्वीकृति से सम्बन्धित कार्यालय आदेश जारी किए जा रहे थे। अवकाश से सम्बन्धित कार्यग्रहण व प्रस्थान सूचनाएं कई प्रकरणों में संलग्न नहीं पाई गई।

(ख) अवकाश खातों में लिए गए अवकाश व शेष अवकाश का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया जा रहा था।

(ग) सेवा पंजिकाओं के आरम्भ में कर्मचारियों द्वारा व्यतीत किए गए अवकाश की नियमानुसार प्रविष्टियां तथा उनका सत्यापन नहीं किया जा रहा है।

अतः पाई गई उक्त त्रुटियों का निपटारा शीध्र किया जाए तथा भविष्य में कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में अवकाश खातों का रख—रखाव निमयमानुसार उचित प्रकार से किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

40 वेतन तथा भत्तों के रूप में ₹16418/–का अधिक भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट–त) एवं श्री जय देव, चपड़ासी की सेवा पंजिका एवं भुगतान वाउचरों की पड़ताल में पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय वेतन से कहीं अधिक तो कहीं कम वेतन का भुगतान किया जा रहा था। अंकेक्षणाधीन अवधि में ही वेतन के रूप में गलत गणना के कारण उक्त कर्मचारी को ₹16418/–का अधिक भुगतान किया गया विस्तृत विवरण परिशिष्ट (त) में दिया गया है जोकि बहुत ही आपतिजनक है। पाई गई त्रुटि बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से कर पालिका निधि में जमा करवाई जाए। इसके अतिरिकत यदि अन्य मासों में इस प्रकार अधिक भुगतान किया गया हो तो परिषद अपने स्तर पर जांच करके अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

अवधि	माह	वेतन देय				वेतन जिसका भुगतान किया गया				अन्तर
		Basic	Grade Pay	D.A.	Total	Basic	G.P.	DA	Total	
1.4.10 से 30.6.10	3	4900	1300	2170	8370	6200	1300	2625	10125	1755X3=5265
1.7.10 से 30.11.10	5	4900	1300	2790	8990	6200	1300	3375	10875	1885X5=9425
1.12.10 से 31.12.10	1	5090	1300	2876	9266	6200	1300	3375	10875	1609
1.1.11 से 31.3.11	3	5090	1300	3259	9649	6200	1300	3825	11325	1676X3=5028
1.4.11 से 30.6.11	3	5090	1300	3259	9649	4900	1300	3162	9362	(– 287X3=–861
1.7.11 से 30.11.11	5	5090	1300	3706	10096	4900	1300	3596	9796	–300X5=1500
1.12.11 से 31.12.11	1	5290	1300	3822	10412	4900	1300	3596	9796	–616
1.1.12 से 31.3.12	3	5290	1300	4284	10874	4900	1300	4030	10230	–644X3=–1932
	24								कुल	16418

41 (क) वार्षिक वेतन वृद्धि बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के प्रदान करनाः–

सेवा पंजिकाओं की जांच में पाया गया कि परिषद में कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के ही किया जा रहा था। वांन्छित वार्षिक वेतन

वृद्धि प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किए जा रहे थे जोकि अनियमित है। अतः इस त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति करके नियमित करवाया जाए।

(ख) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अनुबन्ध पर कर्मचारियों की नियुक्तिः—

निम्नलिखित कर्मचारी अनुबन्ध पर नियुक्त किए गए थे तथा इनका अनुबन्ध अवधि दिनांक 28.02.2005 को समाप्त हो गया था लेकिन अनुबन्ध अवधि में बढ़ौतरी हेतु सक्षम अधिकारी से अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। इस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आपति उठाई गई थी परन्तु इस सन्दर्भ में कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई इस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा नियमितिकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

कर्मचारी का नाम	**पदनाम**	**जिस अवधि की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई**
रमेश कुमार	माली	01.03.05 से अंकेक्षण समाप्ति तक
प्यारे लाल	चौकीदार	—यथोपरि—

पैन्शन फंडः—

42 पैन्शन एवं ग्रैच्युटी फण्डः—

अंकेक्षणाधीन अवधि में परिषद की पैन्शन एवं ग्रैच्युटी फण्ड की वित्तीय स्थिति (बैंक पास बुक के अनुसार) निम्न प्रकार से थीः—

विवरण	**वर्ष 2008—2009**	**वर्ष 2009—10**	**वर्ष 2010—11**	**वर्ष 2011—12**
आरम्भिक शेष	1744324	2003214	2193139	2372757
वर्ष में प्राप्त अंशदान	167226	141014	—	414460
वर्ष में प्राप्त ब्याज	91664	162347	179618	206085
योग	2003214	2306575	2372757	2993302
वर्ष के दौरान व्यय	—	113436	—	—
अन्तिम शेष	2003214	2193139	2372757	2993302

बैंक खाता संख्या 7242 (जोगिन्द्रा स0 को0ओ0 बैंक बददी) पैन्शन व ग्रेच्यूटी फण्ड के अभिलेख के अवलोकन पर निम्नलिखित त्रुटियां पाई गईः—

(क) नगर परिषद द्वारा कर्मचारियों के पैन्शन व गैच्युटी फण्ड का वर्षवार स्ववयाख्यात्मक लेखा तैयार नहीं किया जा रहा है जिसके अभाव में इन फण्डों में समय–2 पर कितनी राशि/अंशदान जमा हुए की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं उपरोक्त फण्ड का प्रारम्भ से अपेक्षित वर्षवार लेखा तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) हिमाचल प्रदेश नगर पालिका कर्मचारी (पैन्शन ग्रैच्युटी व सामान्य भविष्य निधि) नियम 2000 के नियम 3 (3) क अनुसार पालिकाओं द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए स्थापित पैन्शन व ग्रैच्युटी फंड में क्रमशः 12**%** व 5**%** की दर से अंशदान किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त अंशदान सूजत/स्वीकृत पदो के लिए किया जाना है चाहे वो पद भरे हों या खाली जैसा कि शहरी निदेशालय के पत्र संख्या यू0डी0–एच(बी)(10)–3/08–4148–96 दिनांक 22.02.2011 में स्पष्ट किया गया है परन्तु नगर परिषद द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में परिषद के खाली पड़े पदों का अपेक्षित अंशदान पैन्शन व ग्रैच्युटी फण्ड में नहीं किया जा रहा है। जोकि उपरोक्त वर्णित पत्र में दिए गए निर्देशों की अवहेलना है। पाई गई त्रुटि बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए एवं परिषद द्वारा अपने स्तर पर खाली पड़े पदों का अपेक्षित अंशदान की गणना की जाए एवं सम्बन्धित फंड में राशि जमा करवाने के पश्चात अनुपालना से अंकेक्षण अवगत करवाया जाना।

(ग) उचित वित्तीय प्रबन्धन के अभाव में पैन्शन एवं ग्रैच्युटी फंड में जमा से लगभग ₹438300/–की अतिरिक्त ब्याज के रूप में आय से वंचित होनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद के पैन्शन व ग्रैच्युटी फंड में लाखों रूपये की राशि बिना उचित निवेश के बचत खातों में पड़ी थी। यदि इस राशि को समय–2 पर उचित वित्तीय प्रबन्धन करते हुए सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाता तो इससे परिषद को अतिरिक्त ब्याज के रूप में आय प्राप्त होनी निश्चित थी। अंकेक्षणाधीन अवधि में परिषद द्वारा इस निधि से कोई भी राशि निवेशित नहीं की गई जिस कारण परिषद को ₹438300/–को अतिरिक्त ब्याज के रूप में आय से वंचित होना पड़ा। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। अतः यह सुझाया जाता है कि उपरोक्त फंडों में एकत्रित अधिकतम राशि को विभिन्न सावधि जमा में निवेश किया जाए ताकि समय पड़ने पर किसी एक सावधि जमा को आवश्यकतानुसार परिपक्वता से पूर्व भुनाया जा सके एवं अन्य निवेशों पर नियमित रूप से अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्त हो सकेः–

क्र0सं0	फंड में एकत्रित राशि	एकत्रित राशि का 90% जो कि सावधि जमा में निवेशित किया जा सकता था (लगभग)	5% की दर से अतिरिक्त आय जो प्राप्त की जा सकती थी (लगभग)
1	31.3.09 ₹2003214	1800000	91700
2	31.3.10 ₹2193139	1974000	100600
3	31.3.11 ₹2372757	2135000	108700
4	31.3.12 ₹2993302	2694000	137300
		योग	**₹438300**

(घ) भविष्य निधि अंशदान की कम कटौतीः–

दिनांक 15.5.2003 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के मूलवेतन+मंहगाई वेतन+अन्तिरम राहत+मंहगाई भत्ते का 10**%** हिस्सा कर्मचारी के वेतन से कटौती करके तथा इतना ही हिस्सा नियोक्ता के हिस्से के रूप में अंशदान भविष्य निधि में जमा किया जाना अपेक्षित था लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि यह केवल मूल वेतन पर ही वसूल किया जा रहा था। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। इस सन्दर्भ में नियमानुसार राशि सम्बन्धित खाते में जमा करवाई जाए।

(ङ) पैन्शन व ग्रेच्युटी अंशदान नियमित रूप से जमा न करवानाः–

पैन्शन व ग्रेच्युटी फंड के अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि पैन्शन व ग्रेच्युटी फंड का अपेक्षित अंशदान नियमित रूप से इसके लिए स्थापित फंड में नहीं किया जा रहा है। जैसा कि उपरोक्त वर्णित उक्त फंड की वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–2011 में नगर परिषद द्वारा कोई भी अंशदान जमा नहीं करवाया गया। अवधि 04/2010 से 02/2012 (माह 6/11 को छोड़कर) का अंशदान एक मुश्त ₹399194/–का वाउचर संख्या 7 माह 03/12 द्वारा पैन्शन व ग्रेच्युटी फंड में जमा करवाया गया (परिशिष्ट–थ) जो कि नियमानुसार अनियमित ही नही अपीतू आपत्तिजनक भी है। अंशदान को नियमित जमा न करवाने के कारण ब्याज की अतिरिक्त आय से वंचित रह जाता है। इस सन्दर्भ में तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाए एवं इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं जाने सुनिश्चित करें।

(च) विभागीय प्रभार पैन्शन फंड में जमा न करवानाः—

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका कर्मचारी (पैन्शन, गैच्युटी एवं सा0 भ0 निधि) नियम 2000 के नियम 16 के अनुसार नगर पालिकाओं द्वारा अपने वार्शिक बजट के 1**%** के बराबर अंशदान विभागीय प्रभार (डिपार्टमैन्टल चार्जिज) के रूप में इसके लिए स्थापित फण्ड में जमा किया जाना आवश्यक है परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि में ऐसा कोई भी अंशदान जमा नहीं किया गया था यह अनियमित है। इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षणाधीन अवधि से सम्बन्धित ₹1131642.00 अंशदान की बकाया राशि को सम्बन्धित फण्ड में नियमानुसार जमा किया जाने सुनिश्चित करें। साथ ही अंकेक्षणाधीन अवधि पूर्व की अवधि के बकाया अंशदान की गणना परिषद द्वारा अपने स्त्तर पर करके सम्बन्धित फण्ड में जमा करवाया जाए व भविष्य में नियमित प्रकार से इस प्रभार/अंशदान को फण्ड में जमा किया जाए।

क्र0सं0	**वित्तीय वर्ष**	**परिषद का कुल स्वीकृत बजट (आय)**	**विभागीय प्रभार जो फण्ड में जमा करवाया गया**	**1% की दर से राशि जो जमा की जानी आपेक्षित थी**	**कम जमा राशि**
1	2008—09	25150000	—	251500	251500
2	2009—10	25110000	—	251100	251100
3	2010—11	26268000	—	262680	262680
4	2011—12	36636160	—	366362	366362
					1131642

43 सामान्य भविष्य निधिः—

नगर परिषद द्वारा कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि का वर्षवार स्ववयाखयात्मक लेखा तैयार नहीं किया जा रहा है जिसके अभाव में न तो निधि में समय—2 पर किए गए अंशदान/आहरण की एवं न ही कर्मचारियों के खातों के अंतशेष व वर्ष में दिए गए ब्याज की पुष्टि हो सकी। नियमानुसार प्रत्येक कर्मचारी का वर्षवार सामान्य भविष्य निधि खाते का संधारण करना आवश्यक है ताकि सेवानिवृति के समय कर्मचारी को देय राशि की सही गणना की जा सके। अतः वर्षवार सामान्य भविष्य निधि लेखें तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट

की जाए। परिषद द्वारा अपेक्षित लेखों का संधारण आरम्भ से किया जाए तथा आवश्यक जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

स्टोर/स्टॉक

44 इन्टरलोकिंग टाईलस (Interlocking tiles) की स्टॉक रजिस्टर में गलत प्रविष्टियॉ करनाः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाऊचर संख्या 5 दिनांक 9.2.11 ₹949624/—में संलग्न बिल संख्या 120 दिनांक 12.12.09 द्वारा नगर परिषद में मैसर्ज गोविन्द साहिब इन्टरप्राइजिज, नालागढ़ रोपड़ रोड़ से 80 एम0एम0 की 77000 टाईलस तथा 60एमएम0 की 25500 टाईलस क्रय की थी परन्तु स्टॉक रजिस्टर में 80एमएम टाईलस से सम्बन्धित पृष्ठ पर 60एम0एम0 तथा 60एम0एम0 टाईलस से सम्बन्धित पृष्ठ पर 80 एम0एम0 टाईलस की प्रविष्टियां किए जाने के कारण निम्नलिखित विवरणानुसार गलत शेष दर्शाए गये।

(क) स्टॉक रजिस्टर में 80 एम0एम0 टाईलस से सम्बन्धित पृष्ठ पर ₹512663/—की 46500 टाईलस अन्तिम शेष में कम दर्शाया जानाः—

स्टॉक रजिस्टर की पृष्ठ संख्या 16 पर 80 एम0एम0 टाईलस का अन्तिम शेष 10341 दर्शाया गया था जबकि निम्न विवरण के अनुसार अन्तिम शेष 56841 बनता हैः—

स्टॉक रजिस्टर में टाईलस (80 एम0एम0) का जो गलत शेष दर्शाया गया था	स्टॉक रजिस्टर में टाईलस (80 एम0एम0) का वास्तविक शेष जो दर्शाया जाना चाहिए था
आरम्भिक शेष 650 टाईलस	आरम्भिक शेष 650 टाईलस
बिल संख्या 120 दिनांक 29.12.09 द्वारा क्रय की गई 77000 टाईलस (80 एम0एम0) के स्थान पर 30500 टाईलस (25500 60 एम0एम0+5000 (80 एम0एम0) (+) 30500 टाईलस की प्रविष्टि की गई	बिल संख्या 120 दिनांक 29.12.09 द्वारा क्रय की गई टाईलस (+) 77000 टाईलस
कुल टाईलस 31150	कुल टाईलस 77650 टाईलस
निर्माण कार्य "कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड, वार्ड नं0 6" हेतु जारी की गई टाईलस (—) 20809	"कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड, वार्ड नं0 6" निर्माण कार्य हेतु जारी की गई टाईलस (—) 20809
अन्तिम शेष जो दर्शाया गया था 10341 टाईलस	टाईलस का वास्तविक शेष 56841

अतः उपरोक्त विवरणानुसार टाईलस (80 एम0ए0) का अन्तिम शेष 46500 टाईलस (56841–10341) जिनका ₹512663 / –(46500X9.80+12.5%वैट) बनता है कम दर्शाया गया था।

(ख) स्टॉक रजिस्टर में 60 एम0एम0 टाईलस से सम्बन्धित पृष्ठ पर ₹408038 / –की 46500 टाईलस अन्तिम शेष में अधिक दर्शाए जाने बारेः–

स्टॉक रजिस्टर की पृष्ठ संख्या पर 60 एम0एम0 टाईलस का अन्तिम शेष 42998 दर्शाया गया था जबकि निम्न विवरण के अनुसार अन्तिम शेष (–) 3502 बनता हैः–

स्टॉक रजिस्टर में टाईलस (60 एम0एम0) को जो गलत शेष दर्शाया गया था	**स्टॉक रजिस्टर में टाईलस (60 एम0एम0) का वास्तविक शेष जो दर्शाया जाना चाहिए था**
आरम्भिक शेष 34349 टाईलस	**आरम्भिक शेष 34349 टाईलस**
बिल संख्या 120 दिनांक 29.12.09 द्वारा किया गया 25500 (60 एम0एम0) टाईलस के स्थान पर 72000 (80 एम0एम0) टाईलस की प्रविष्टि की गई (+) 72000	बिल संख्या 120 दिनांक 29.12.09 द्वारा क्रय की गई टाईलस (+) 25500 टाईलस
कुल टाईलस 106349 टाईलस	कुल टाईलस 59849 टाईलस
निर्माण कार्य “कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड, निर्मल स्पीनींग मिल से जुडडी कलाम के लिए जारी की गई टाईलस (–) 63351	निर्माण कार्य “कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड, निर्मल स्पीनींग मिल से जुडडी कलाम के लिए जारी की गई टाईलस (–) 63351
अन्तिम शेष जो दर्शाया गया था 42998	टाईलस का वास्तविक शेष (–) 3502

अतः उपरोक्त विवरणानुसार टाईलस (60 एम0एम0) का अन्तिम शेष 46500 टाईलस (42998+3502) जिनका मूल्य ₹408038 / –(46500X7.80+12.50%) वैट) बनता है अधिक दर्शाया गया था।

(ii) उपरोक्त पैरा ख(i) में दिए गए विवरणानुसार बिल संख्या 120 दिनांक 29.12.09 25500 टाईलस के क्रय उपरान्त स्टॉक में 59849 टाईलस (34349+25500) उपलब्ध थी परन्तु निर्माण कार्य कन्स्ट्रक्शन आफ रोड निर्मल स्पीनींग मिल से जुडडी कलाम के लिए 63351 टाईलस जारी की गई। जब स्टॉक में केवल 59849 टाईलस उपलब्ध थी तो 63351 टाईलस जारी किए

जाना सम्भव ही नहीं है। रजिस्टर में व्यक्तियों/ठेकेदारों जिन्हें यह टाईलस जारी की गई थी उनके हस्ताक्षर कहीं भी नहीं थे। अतः उपरोक्त अनियमितताओं के कारण इन्टरलोकिंग टाईलस के स्टॉक में अन्य अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह प्रकरण परिषद अधिकारियों के विशेश ध्यान में आगामी अपेक्षित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

45 सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारेः–

वाउचर संख्या 30 माह 2/10 द्वारा ₹51200.00 का भुगतान हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कोरपोरेशन शिमला–09 को 200 सीमेन्ट बैग (₹256/– प्रति बैग की दर से) क्रय किए गए थे। बार–2 आग्रह करने के उपरान्त भी सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में सीमेन्ट स्टॉक की जांच नहीं की जा सकी। अतः सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए व आवश्यक जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

46 **(ख)** वाहन (स्कोरपियो) एच0पी0–12 सी–1860 की लॉग बुक की पड़ताल में पाया गया कि वाहन की वास्तविक औसत तेल खपत का निर्धारण किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से न करवाते हुए अपने स्त्तर पर ही 10 कि0मी0 प्रति लीटर स्थिर निर्धारित कर दी गई थी एवं माह के अन्त में इस दर से ही तेल की खपत का निर्धारण किया जा रहा था जिसे उचित नहीं माना जा सकता क्योंकि लॉग बुक (पृष्ठ 22) के अनुसार माह 01/09 से 04/09 (दिनांक 02.01.09 से 25.4.09) तक वाहन द्वारा 3385 कि0मी0 (5355 कि0मी0–1970 कि0मी0) की यात्रा तय की गई जिसके लिए वाहन ने 254.59 लीटर डीजल की खपत की (तेल का प्रारम्भिक शेष 18.22 लीटर+अवधि में क्रय डीजल 278.15 लीटर–टैंक में बकाया डीजल 41.78 लीटर) था । अतः इस प्रकार उपरोक्त अवधि में वाहन की तेल की खपत 13.29 कि0मी0 प्रति लीटर पाई गई। वाहन की डीजल की औसत कम दर्शाने का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया था। वाहन में डीजल की खपत अधिक दर्शाये जाने के कारण 750 लीटर डीजल ₹33750/– का दुरूपयोग किया जिसकी उचित माध्यम से वसूली करके परिषद निधि में जमा किया जाए जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

अंकेक्षणाधीन अवधि में वाहन द्वारा तय की गई दूरी	10कि0मी0 प्रति ली0 की औसत से की गई तेल की खपत	13कि0मी0 प्र0ली0 की औसत से अनुमानित तेल की खपत	डीजल की अनुमानित अधिक खपत	डीजल की दर	डीजल पर कुल अनुमानित अधिक व्यय
30712 कि0मी0	3071ली0	2321 ली0	750 ली0	₹45 प्र0ली0 (औसत)	₹33750

(ग) बिना पूर्व स्वीकृति के वाहन को राज्य से बाहर प्रयोग करने के सम्बन्ध में:–

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या UD-H(C)(10)-9/02 दिनांक 15.9.07 द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार नगर परिषद के वाहन को राज्य से बाहर प्रयोग करने के लिए निदेशक, शहरी विकास विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य थी लेकिन निम्नलिखित प्रकरणों में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना वाहन को राज्य से बाहर ले जाया गया यह अनियमित है।

दिनांक	यात्रा का स्थान	तय की गई दूरी	यात्रा करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम	लॉग बुक पृष्ठ संख्या
30.01.09	बददी से चण्डीगढ़ एवं वापसी	140 कि0मी0	सैकरेटरी	14
01.02.09′	–यथोपरि–	140 कि0मी0	सैकरेटरी	14
04.02.09	–यथोपरि–	140 कि0मी0	सैकरेटरी	14
07.02.09	–यथोपरि–	140 कि0मी0	सैकरेटरी	16
26.02.09	–यथोपरि–	140 कि0मी0	सैकरेटरी	18

30.10.09	बददी से नालागढ़ से चण्डीगढ़ एवं वापसी कुल दूरी	200 कि0मी0 900 कि0मी0	एस0डी0एम0 नालागढ़	36

अतः उपरोक्त तय की गई दूरी को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित किया जाए अन्यथा उक्त यात्राओं को निजि यात्रा मानते हुए राशि ₹5400.00 (900X6=5400) की वसूली उचित स्त्रोत से साथ–2 उपरोक्त का द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरत पालन करना भी सुनिश्चित किया जाए।

(घ) लॉग बुक को सही ढंग से न भरा जानाः–

लॉग बुक की पडताल में पाया गया कि इसका संधारण नियमानुसार सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। कई प्रकरणों में जिनका विवरण नीचे दिया गया है यह स्पष्ट दर्शाया नहीं गया कि वाहन का प्रयोग किस उदेश्य व किन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कहां की यात्रा की, और न ही यात्राओं का सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा नियमित रुप से किया गया था। अतः पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए भविष्य में लॉग बुक को सही ढंग से प्रविष्टियॉ करना सुनिश्चित किया जाए ताकि वाहन के दुरुपयोग की सम्भावना से बचा जा सके।

दिनांक	**यात्रा का विवरण**	**दूरी तय की गई**	**टिप्पणी**
12.04.09 से 16.04.09	बददी से नालागढ व वापसी	300 कि0मी0	सक्षम अधिकारी द्वारा यात्रा का सत्यापन नहीं किया गया।
01.02.10	यात्रा का स्थान नहीं दर्शाया गया	34 कि0मी0	यथोपरि एवं यात्रा का उदेश्य व यात्रा किस ने की नहीं दर्शाया गया
06.02.10	यथोपरि	49 कि0मी0	
09.02.10	यथोपरि	52 कि0मी0	
10.02.10	यथोपरि	33 कि0मी0	
11.02.10	यथोपरि	17 कि0मी0	
15.02.10	यथोपरि	28 कि0मी0	
17.02.10	यथोपरि	53 कि0मी0	
18.02.10	यथोपरि	28 कि0मी0	–यथोपरि–

19.02.10	यथोपरि	31 कि0मी0	
20.02.10	यथोपरि	37 कि0मी0	
23.02.10	यथोपरि	32 कि0मी0	
24.02.10	यथोपरि	150 कि0मी0	
27.02.10	यथोपरि	45 कि0मी0	
02.03.10	यथोपरि	28 कि0मी0	
03.03.10	यथोपरि	26 कि0मी0	
4.3.10	यात्रा का स्थान नहीं दर्शाया गया	36 कि0मी0	यथोपरि
6.3.10		42 कि0मी0	
9.3.10	यथोपरि	48 कि0मी0	
10.3.10		29 कि0मी0	
11.3.10		31 कि0मी0	
15.3.10		44 कि0मी0	
22.3.10 से 31.3.10		465 कि0मी0	यथोपरि
10.2.11	परिषद क्षेत्र	15 कि0मी0	
2.1.12 से 9.1.12	यथोपरि	94 कि0मी0	सक्षम अधिकारी द्वारा यात्रा का सत्यापन नहीं किया गया
19.1.12	बददी से सोलन व वापस	140 कि0मी0	–यथोपरि–

(ङ) लॉग बुक में प्रारम्भिक व अन्तिम मीटर रीडिंग को सही न दर्शानाः–

निम्न प्रकरणों में गाड़ी की लॉग बुक में प्रविष्टि अन्तिम मीटर रीडिंग व अगले कार्य दिवस (जिस दिन वाहन पुनः प्रयोग में लाया गया) में प्रविष्टि आरम्भिक मीटर रीडिंग में अन्तर पाया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि वाहन की लॉग बुक के साधारण में अत्यन्त लापरवाही बरती जा रही है जिस कारण वाहन के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

दिनांक	वाहन की अन्तिम मीटर रीडिंग	दिनांक	वाहन के पुनः प्रयोग पर दर्शाई गई वाहन का प्रारम्भिक मीटर रीडिंग	अन्तर
10.12.08	1970 कि.मी.	02.01.09	1832 कि0मी0	(–)138 कि0मी0
17.11.09	10020 कि0मी0	18.1.10	10116 कि0मी0	(+) 96 कि0मी0

47 (क) वाहन की खरीद में पाई गई अनियमितताएंः–

स्कोरपियों (मॉडल M2DI) की खरीद हेतु वाउचर संख्या 17 माह 07/08 के तहत ₹691000/–का भुगतान मैसर्ज स्नोविद आटोमोबाईल प्रा0 लिमिटेड बददी को वाहन स्कारपियो (मॉडल M2DI) के खरीद हेतु किया गया। प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या यू0डी0सी0(12) 1/2006 दिनांक 28.8.07 जो कि निदेशक, शहरी विकास विभाग को सम्बन्धित किया गया था (परिशिष्ट "द" पर संलग्न) द्वारा नगर पंचायत बददी को अपनी निजि निधि से एक छोटी नई गाड़ी (जिप्सी/कार) खरीदने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था परन्तु नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त स्वीकृति का उल्लंधन करते हुए नौ लोगो के बैठने की क्षमता वाली स्कोरपियों गाड़ी को क्रय बिना सक्षम अधिकारी के स्वीकृति से कर लिया गया। अतः नियमों की अवहेलना करके की खरीद का औचित्य स्पष्ट की जाए तथा सक्षम प्राधिकारी की संशोधित स्वीकृति प्राप्त कर इस व्यय को नियमित किया जाए।

48 विविध अभिलेख प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध बारेः–

निम्नलिखित विवरणानुसार आय तथा व्यय से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए इस बारे अधियाचना संख्या 12 दिनांक 25.4.13 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण सम्पन होने तक इस सम्बन्ध में कोई भी कार्रवाई पूर्ण नहीं की गई।

क्र0 सं0	रसीद सं0	दिनांक	राशि (₹)	विवरण	वा0 सं0	दिनांक	राशि(₹)	विवरण	टिप्पणी
1	3888	1.10.08	14165	मकान के नक्शे पारित करने	–	–	–	–	सम्बन्धित नस्ति प्रस्तुत नहीं की गई।
2	4949	5.7.11	2277	मकान के नक्शे पारित करने	–	–	–	–	सम्बन्धित नस्ति प्रस्तुत नहीं की गई।
3	3905	27.10.08	1200	मकान के नक्शे पारित करने	–	–	–	–	सम्बन्धित नस्ति प्रस्तुत नहीं की गई।
4	4339	6.10.10	2264	मकान के नक्शे पारित करने	–	–	–	–	सम्बन्धित नस्ति प्रस्तुत नहीं की गई।
5	4661	15.9.10	4934	मकान के नक्शे पारित करने	–	–	–	–	सम्बन्धित नस्ति प्रस्तुत नहीं की गई।
6	4351	18.1.10	235300	टैलीकोम डीवीजन, शिमला से प्राप्त अन्य	–	–	–	–	सम्बन्धित अभिलेख जिसके अनुसार प्राप्त किया गया प्रस्तुत नहीं किया गया
7	3897	23.10.08	4263	रख–रखाव शुल्क	–	–	–	–	सम्बन्धित रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया
8	4974	11.7.11	500	सब्जी मण्डी आरक्षण शुल्क	–	–	–	–	पत्र जिससे आरक्षण रेटस निर्धारित किए गए प्रस्तुत नहीं किया गया
9	–	–	–	–	2	3.2.10	878220 (वाउचर की कुल राशि 190418/– बिल की राशि)	Providing street light in ward No. 1, 8& 9	इस कार्य से सम्बन्धित नस्ति प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण विभिन्न मदों के रेट जिनके अनुरूप भुगतान किया गया। उनका सत्यापन नहीं किया जा सका।
10	–	–	–	–	2	3.2.10	878220	Providing	इस कार्य से सम्बन्धित

							(वाउचर की कुल राशि 441160/— बिल की राशि)	street light in ward No. 1, 8& 9	नस्ति प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण विभिन्न मदों के रेट जिनके अनुरूप भुगतान किया गया। उनका सत्यापन नहीं किया जा सका।
11	—	—	—	—	3	3.2.10	93228	Maintenance of street light in different ward of Baddi	सम्बन्धित/अभिलेख नस्ति प्रस्तुत नहीं की गई।
12	—	—	—	—	6	1/09	134812	Line Maintenance of street light in NP Baddi	—यथोपरि—
13	—	—	—	—	3	2/11	2649	श्री किशोरी लाल की सामान्य भविष्य निधि में चैक संख्या 102772 दिनांक 1.12. 11 द्वारा जमा करवाए गए।	सम्बन्धित बैंक पास बुक प्रस्तुत नहीं की गई।
14	—	—	—	—	14	2/10	2869	श्री एच0के0 डोगरा तथा श्रीमती योगिता के सामान्य भविष्य निधि	पास बुक में जमा नहीं दिखाई गई।

								कटौती से सम्बन्धित	
15	—	—	—	—	19	2/12	41054	श्री किशोरी लाल व श्री राजेश चौधरी को दिनांक 1.1.06 से 31.8.09 तक के संशोधित वेतनमान के बकाया का 50**%** का भुगतान	बकाया की गणना विवरणिका एवं सेवा पंजिकाएं जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई
16	—	—	—	—	2	2/12	2560	श्री राजेश चौधरी कनिष्ठ अभियन्ता के वेतन में से ₹2500/— के सामान्य भवन निधि अग्रिम एवं ₹60/— की जा0एस0एल0आई0 की कटौती की गई	की गई कटौतियां को सम्बन्धित खाते में जमा करवाने बारे कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।
17	—	—	—	—	11	2/12	4288	मै0 सुण्डला बिलडर्स का	धरोहर राशियों से सम्बन्धित वास्तविक

								उपरोक्त वाउचर में से ₹1470 व ₹3800 की धरोहर राशि का भुगतान	रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।
18	—	—	—	—	6	1/09	134842	मै0 कुमार इलैक्ट्रानिक्स कं0	अवधि 16.3.08 से 15. 12.08 के लिए लाईन मैनेटेनस चार्जिज का भुगतान किया गया परन्तु कार्य को सत्यापित नहीं किया गया।

क्र0सं0	**वा0सं0**	**माह**	**राशि**	**क्रय की गई वस्तुओं का विवरण**
1	15	2/11	5000	स्टेशनरी से सम्बन्धित वस्तुएं
2	2	2/11	354	ताला, फैक्स रोल आदि
3	11	2/10	1000	पोस्टेस स्टैम्पस
4	24	2/10	565	पैन ड्राइव
5	30	2/10	51200	200 सीमेन्ट बैगस
6	3	5/11	500	फेस्टेज स्टैम्पर
7	7	2/12	500	फेस्टेज स्टैम्पर
8	15	01/09	860	कैलकुलेटर
9	23	01/09	2904	सफाई/प्लमिंग का सामान

(ख) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद अपने विभिन्न वार्डों में इन्टरलोकिंग टाईलस (Interlocking tiles) लगवाने से सम्बन्धित निर्माण कार्य के लिए नालागढ़ रोपड़ रोड़ पर स्थित मैसर्ज गोविन्द साहिब एन्टरप्राईजिज से यह टाईलस क्रय कर रही थी। नगर परिषद द्वारा यह टाईलस काफी अधिक मात्रा में लाखें रूप्ये में क्रय की गई थी। विभिन्न बिलों के अवलोकन पर

पाया गया कि फर्म टाईलस 9.80 (80एमएम) 7.80 (60एमएम) तथा 6.30 (40एमएम) जमा 12.5 प्रतिशत वैट प्रति टाईलस की दर से नगर परिषद को उपलब्ध करवा रही थी नियमानुसार औपचारिकताऐं (Codel formalities) पूरी किए जाने से सम्बन्धित दस्तावेज जैसे टाईलस के रेट किस आधार पर तैयार किए गए निविदाऐं तुलानात्मक विवरणी (Comprative statement of rates) तथा फर्म के साथ किए गए तोल–मोल से सम्बन्धित पत्र (Negoatiation letter) इत्यादि अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद आवश्यक जांच हेतु अवलोकन हेतु उपलब्ध नहीं किए गए। जिसके अभाव में अनुदान की जा रही दरों के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 आगामी अंकेक्षण पर इस आपूर्ति कार्य को प्रदान किए जाने से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) 55278/– का भुगतान मै0 जिन्दल एण्ड कम्पनी बददी को 1328 फीट विटरीफाईड टाईल क्रय करने के लिए वाउचर संख्या 18 माह 01/00 द्वारा किया गया भुगतान वाउचर की पड़ताल में पाया गया कि इस क्रय से सम्बन्धि कोई भी संविदा एवं तुलनात्मक विवरणी अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसके अतिरिक्त उपरोक्त क्रय से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी प्राप्त वितीय स्वीकृति की प्रति भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिस बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाए व अपेक्षित अभिलेख आगामी लेखा परीक्षा में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

(घ) निम्नलिखित भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में जाचं हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए। जबकि रोक़ड़ वही में इनका भुगतान किया गया दर्शाया गया था। यह अनियमित है इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इन वाउचरों द्वारा भुगतान की गई राशियों की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

क्र0स0	**वा0 नस्ति**	**वा0सं0**	**दिनांक**	**राशि**	**टिप्पणी**
1	मह 2/11	15	15.2.11	5000	वाउचर द्वारा ₹5000 का भुगतान दर्शाया गया था परन्तु वाउचर के साथ केवल निम्नलिखित विलस संलग्न थे (i) बिल संख्या 4844 दिनांक 16.2.11 (H.P. Parking & stationary Departmentr द्वारा जारी) ₹4600

					(ii) बिल संख्या 7650 दिनांक 16.2.11 ₹60 (H.P. Parking & stationary Departmentr द्वारा जारी) कुल योग ₹4660 वाउचर में 340 (500–4660) के बिल कम संलग्न थे।
2	माह 12/10	–	13.2.10	415480	रोकड़ वही में दिनांक 13.12.10 को Manager centre for development के पक्ष में ₹415480/– का भुगतान (चैक संख्या 102815 दिनांक "लिखी नहीं थी) दर्शाया गया था परन्तु वाउचर नस्ति में संलग्न नहीं पाया गया।
3	माह 7/10	16	30.7.10	17494	रोकड़ वही में हरमन फिलीग स्टेशन बददी का भुगतान किया दर्शाया गया था परन्तु वाउचर नस्ति में संलग्न नहीं पाया गया।

(ङ) वाउचर संख्या 11 दिनांक 12/08 के सबवाउचर बिल संख्या 064 के तहत मैसर्ज गोबिन्द साहिब इन्टरप्राईजिज नालागढ को ₹150018 के भुगतान के सम्बन्ध में बिल की कार्बन कापी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई नियमानुसार बिल की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की गई यह अनियमित है। अतः बिल की मूल प्रति अब प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

49 अभिलेख में दर्ज प्रविष्टियां का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन न करनाः–

नगर परिषद द्वारा अनुरक्षित विभिन्न रजिस्स्टरों मं की गई प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया जा रहा है इस सम्बन्धित में कुछ रजिस्टरों का विवरण नीचे दिया गया है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 भविष्य में अभिलेख में

की गई प्रविष्टियों का नियमित रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन करवाए जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का नाम	टिप्पणी
1	स्टोर / स्टॉक रजिस्टर	प्रविष्टियों सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थी
2	शॉप रेन्ट कुलेक्शन रजिस्टर	प्रविष्टियों सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थी
3	रख रखाव रजिस्टर (मकान संख्या 266 से 486) हाऊसिंग बोर्ड	प्रविष्टियों सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थी
4	रख रखाव रजिस्टर (मकान संख्या 1 से 209) हाऊसिंग बोर्ड	प्रविष्टियों सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थी
5	रख रखाव रजिस्टर (मकान संख्या 431 से 549) हाऊसिंग बोर्ड	प्रविष्टियों सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थी

50 विभिन्न रजिस्टरों का अनुरक्षण न किए जाने बारेः–

नगर परिषद द्वारा निम्न रजिस्टरों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है जिनके अभाव में लेखाओं के रखरखाव में पारदर्शिता परिलक्षित नहीं होती है। अतः इन महत्वपूर्ण रजिस्टरों के अनुरक्षण न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए इन रजिस्टरों का अनुरक्षण अब प्राथमिकता के आधार पर किया जाए व आवश्यक जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

क्र0सं0	रजिस्टर का नाम
1	वर्क रजिस्टर (Work Register)
2	प्रतिभूति प्रतिदाय रजिस्टर (security refund register)
3	शराब शुल्क रजिस्टर
4	मोबाईल टावर शुल्क रजिस्टर
5	बिजली शुल्क रजिस्टर
6	दैनिक संग्रह रजिस्टर (Daily Collection register)

7	संस्थापन पड़ताल रजिस्टर (Establishment Check register)
8	दूरभाष प्रभार रजिस्टर
9	बिजली प्रभार रजिस्टर
10	कंटीजेन्ट/मिसलैनियस रजिस्टर (Contigent/Misellanes register)
11	टी0ए0 चैक रजिस्टर
12	मैडिकल चैक रजिस्टर
13	सम्पति रजिस्टर

51 डाक टिकट रजिस्टर बारेः–

लेखा परीक्षा के दौरान डाक टिकट रजिस्टर की पड़ताल में निम्नलिखित त्रुटियां/ अनियमितताएं पाई गईः–

(क) परिषद के डाक टिकट रजिस्टर की चयनित माह में पड़ताल में पाया गया कि रजिस्टर का संधारण नियमानुसार सही ढ़ंग से नहीं किया जा रहा था। रजिस्टर में कई स्थानों पर अत्याधिक कटिंग तथा ओवर राईटिंग की गई थी जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। भविष्य में उक्त रजिस्टर का रख रखाव उचित ढ़ंग से किया जाना सुनिश्चित करे।

(ख) दिनांक 18.1.2012 से 05.02.12 तक ₹253 की टिकटों का प्रयोग किया गया। परन्तु गलत गणना के फलस्वरूप ₹263 की टिकटों को घटा दिया गया। अतः ₹10 अधिक टिकटों का व्यय दर्शाया गया। इस त्रुटि को दूर किया जाए।

52 लधु आपति विवरणिकाः–

सभी लधु आपतियों का निपटारा स्थल पर ही किए जाने के कारण लधु आपति विवरणिका जारी नहीं की गई।

53 निष्कर्षः–

लेखों में अधिक सुधार एवं निकट पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। लम्बित से पड़े अनिर्णीत पैरों व इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित गम्भीर अनियतिताओं के निपटारे हेतु शीध्र कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

हस्ता/
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0(एच(2)सी V (105)/2012 खण्ड –1-6635-6637 दिनांक 10.10.2013, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है :–

1. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002
2. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद बददी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर अंकेक्षण विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3 वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश शिमला–171002

हस्ता/
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009

परिशिष्ट "क"
सन्दर्भित पैरा संख्या 1 (ग)
गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 6/99 से 3/05

1	पैरा–1	अनिर्णीत
2	पैरा–2	अनिर्णीत
3	पैरा–3 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा–3 (ङ)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (1)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत
7	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत
8	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत
9	पैरा–5 (ग)	अनिर्णीत
10	पैरा–5 (घ) (1)	अनिर्णीत
11	पैरा–5 (घ) (2)	अनिर्णीत
12	पैरा–5 (ञ)	अनिर्णीत
13	पैरा–5 (च) (1 से 5)	अनिर्णीत
14	पैरा–5 (छ) (1)	अनिर्णीत
15	पैरा–5 (छ) (3)	क्रम संख्या 1, 2, 3 व 4 से देय क्रमशः ₹1000, 1000, 1000 व 500/– की राशि जी–8 संख्या 5082, 5085, 5080 व 5089 द्वारा 16.8.07, 16.8.07, 14.8.07 व 27.8.2007 द्वारा वसूल कर ली गई। क्रम संख्या 5 व 6 के पक्ष मं भी अपेक्षित कार्यवाही की जाये। आंशिक रूप से
16	पैरा–5 (छ) (4)	अनिर्णीत
17	पैरा–5 (छ) (5)	अनिर्णीत
18	पैरा–5 (ज) (1 से 5)	अनिर्णीत
19	पैरा–5 (झ)	अनिर्णीत
20	पैरा–5 (ञ)	अनिर्णीत
21	पैरा–5 (ट)	अनिर्णीत
22	पैरा–5 (ट)	अनिर्णीत

23	पैरा–5 (ढ)	अनिर्णीत
24	पैरा–5 (ण)	अनिर्णीत
25	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत
26	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत
27	पैरा–6 (ग)	अनिर्णीत
28	पैरा–6 (घ)	अनिर्णीत
29	पैरा–6 (ङ)	अनिर्णीत
30	पैरा–6 (च)	अनिर्णीत
31	पैरा–6 (छ)	अनिर्णीत
32	पैरा–6 (ज)	अनिर्णीत
33	पैरा–6 (झ)	अनिर्णीत
34	पैरा–6 (ञ)	अनिर्णीत
35	पैरा–6 (ट)	अनिर्णीत
36	पैरा–6 (ठ)	अनिर्णीत
37	पैरा–6 (ड)	अनिर्णीत
38	पैरा–6 (ढ)	अनिर्णीत
39	पैरा–6 (ण)	अनिर्णीत
40	पैरा–6 (त)	अनिर्णीत
41	पैरा–6 (थ)	अनिर्णीत
42	पैरा–6 (द)	अनिर्णीत
43	पैरा–6 (ध)	अनिर्णीत
44	पैरा–6 (न)	अनिर्णीत
45	पैरा–6 (प)	अनिर्णीत
46	पैरा–6 (फ)	अनिर्णीत
47	पैरा–6 (ब)	अनिर्णीत
48	पैरा–6 (भ) (1 से 4)	अनिर्णीत
49	पैरा–6 (म) (1 से 3)	अनिर्णीत
50	पैरा–6 (य)	अनिर्णीत
51	पैरा–6 (र)	अनिर्णीत

52	पैरा–6 (ल)	अनिर्णीत
53	पैरा–6 (व)	अनिर्णीत
54	पैरा–6 (श)	अनिर्णीत
55	पैरा–6 (श)	अनिर्णीत
56	पैरा–6 (स)	अनिर्णीत
57	पैरा–6 (ह)	अनिर्णीत
58	पैरा–7 (1 से 19)	अनिर्णीत
59	पैरा–7 (क) (1 से 7)	अनिर्णीत
60	पैरा–7 (ख) (1 से 7)	अनिर्णीत
61	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत
62	पैरा–7 (घ) (1 से 4)	अनिर्णीत
63	पैरा–7 (ङ)	अनिर्णीत
64	पैरा–7 (च) (1 से 7)	अनिर्णीत
65	पैरा–7 (छ)	अनिर्णीत
66	पैरा–7 (ज)	अनिर्णीत
67	पैरा–7 (झ)	अनिर्णीत
68	पैरा–7 (ञ)	अनिर्णीत
69	पैरा–7 (ट)	अनिर्णीत
70	पैरा–7 (ठ)	अनिर्णीत
71	पैरा–7 (ड)	अनिर्णीत
72	पैरा–7 (ढ) (1 से 5)	अनिर्णीत
73	पैरा–7 (ण)	अनिर्णीत
74	पैरा–7 (त) (1 से 3)	अनिर्णीत
75	पैरा–7 (थ) (1 से 5)	अनिर्णीत
76	पैरा–7 (द)	अनिर्णीत
77	पैरा–7 (ध)	अनिर्णीत
78	पैरा–7 (न)	अनिर्णीत
79	पैरा–7 (प)	अनिर्णीत
80	पैरा–7 (फ)	अनिर्णीत

81	पैरा–7 (ब)	अनिर्णीत
82	पैरा–7 (म) (1 से 4)	अनिर्णीत
83	पैरा–7 (य) (1 सें 3)	अनिर्णीत
84	पैरा–7 (र) (1 से 2)	अनिर्णीत
85	पैरा–7 (ल)	अनिर्णीत
86	पैरा–7 (व)	अनिर्णीत
87	पैरा–7 (श)	अनिर्णीत
88	पैरा–7 (ष)	अनिर्णीत
89	पैरा–7 (स) (1 से 4)	अनिर्णीत
90	पैरा–7 (ह)	अनिर्णीत
91	पैरा–7 (क्ष)	अनिर्णीत
92	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत
93	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत
94	पैरा–8 (ग)	अनिर्णीत
95	पैरा–8 (घ)	अनिर्णीत
96	पैरा–8 (ङ)	अनिर्णीत
97	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत
98	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत
99	पैरा–9 (ग)	अनिर्णीत
100	पैरा–9 (घ)	अनिर्णीत
101	पैरा–9 (ङ)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/05 से 3/08 तक

12	पैरा–2 (i)	अनिर्णीत
3	पैरा–2 (ii)	अनिर्णीत
4	पैरा–3 (1)	अनिर्णीत
5	पैरा–3 (2)	अनिर्णीत
6	पैरा–3 (2) (क)	निर्णीत
7	पैरा–3 (2) (ख)	आंशिक रूप से निर्णीत
8	पैरा–4 (1) (क)	निर्णीत

9	पैरा–4 (1) (ख)	निर्णीत
10	पैरा–4 (1) (ग)	निर्णीत
11	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत
12	पैरा–4 (3) (i) (क)	निर्णीत
13	पैरा–4 (3) (i) (ख)	निर्णीत
14	पैरा–4 (3) (i) (ग)	निर्णीत
15	पैरा–4 (4)	अनिर्णीत
16	पैरा–4 (5)	अनिर्णीत
17	पैरा–4 (6) (क)	अनिर्णीत
18	पैरा–4 (6) (ख)	अनिर्णीत
19	पैरा–4 (7)	अनिर्णीत
20	पैरा–4 (8) (क)	निर्णीत
21	पैरा–4 (8) (ख)	निर्णीत
22	पैरा–4 (9)	निर्णीत
23	पैरा–4 (10)	अनिर्णीत
24	पैरा–4 (11)	अनिर्णीत
25	पैरा–4 (12) (क)	अनिर्णीत
26	पैरा–4 (13)	निर्णीत
27	पैरा–4 (14)	अनिर्णीत
28	पैरा–4 (15)	अनिर्णीत
29	पैरा–4 (16)	अनिर्णीत
30	पैरा–4 (17)	अनिर्णीत
31	पैरा–4 (18)	अनिर्णीत
32	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत
33	पैरा–5 (2)	निर्णीत
34	पैरा–5 (3)	अनिर्णीत
35	पैरा–5 (4)	अनिर्णीत
36	पैरा–5 (5)	आंशिक रूप से निर्णीत
37	पैरा–5 (6)	अनिर्णीत

38	पैरा–5 (7)	अनिर्णीत
39	पैरा–5 (8)	अनिर्णीत
40	पैरा–6 (1)	निर्णीत
41	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत
42	पैरा–6 (3)	निर्णीत
43	पैरा–6 (4)	अनिर्णीत
44	पैरा–6 (5)	निर्णीत
45	पैरा–6 (6)	अनिर्णीत
46	पैरा–6 (7) (क)	अनिर्णीत
47	पैरा–6 (7) (ख)	अनिर्णीत
48	पैरा–6 (8)	अनिर्णीत
49	पैरा–6 (9)	अनिर्णीत
50	पैरा–6 (10)	आंशिक रूप से निर्णीत (₹80 जमा कर दिए गए परन्तु रोकड़ वही में ड्राफ्ट सं0 का लेन–देन नहीं दर्शाया गया)
51	पैरा–6 (11)	अनिर्णीत
52	पैरा–6 (12)	अनिर्णीत
53	पैरा–6 (13)	अनिर्णीत
54	पैरा–6 (14)	अनिर्णीत
55	पैरा–6 (15)	अनिर्णीत
56	पैरा–6 (16)	अनिर्णीत
57	पैरा–6 (17)	निर्णीत
5	पैरा–6 (18)	निर्णीत
59	पैरा–6 (19)	निर्णीत
60	पैरा–6 (20)	निर्णीत
61	पैरा–6 (21)	अनिर्णीत
62	पैरा–6 (22)	अनिर्णीत
63	पैरा–6 (23)	अनिर्णीत
64	पैरा–6 (24)	निर्णीत
65	पैरा–6 (25)	अनिर्णीत
66	पैरा–6 (26)	अनिर्णीत

67	पैरा–6 (27)	अनिर्णीत
68	पैरा–6 (28)	अनिर्णीत
69	पैरा–6 (29) (क)	अनिर्णीत
70	पैरा–6 (29) (ख)	अनिर्णीत
71	पैरा–6 (30)	अनिर्णीत
72	पैरा–6 (31)	अनिर्णीत
73	पैरा–7 (1)	अनिर्णीत
74	पैरा–7 (2) (क)	अनिर्णीत
75	पैरा–7 (2) (ख)	अनिर्णीत
76	पैरा–7 (3)	अनिर्णीत
77	पैरा–7 (3) (क)	अनिर्णीत
78	पैरा–7 (3) (ख)	अनिर्णीत
79	पैरा–7 (4)	अनिर्णीत
80	पैरा–7 (5) (क)	अनिर्णीत
81	पैरा–7 (5) (ख)	अनिर्णीत
82	पैरा–7 (6) (क)	अनिर्णीत
83	पैरा–7 (6) (ख)	अनिर्णीत
84	पैरा–7 (6) (ग)	अनिर्णीत
85	पैरा–7 (6) (घ)	अनिर्णीत
86	पैरा–7 (6) (ङ)	अनिर्णीत
87	पैरा–7 (7) (क)	अनिर्णीत
88	पैरा–7 (7) (ख)	अनिर्णीत
89	पैरा–7 (7) (ग)	अनिर्णीत
90	पैरा–7 (8)	अनिर्णीत
91	पैरा–7 (9)	अनिर्णीत
92	पैरा–7 (10) (क)	अनिर्णीत
93	पैरा–7 (10) (ख)	अनिर्णीत
94	पैरा–7 (10) (ग)	निर्णीत
95	पैरा–7 (10) (घ)	अनिर्णीत

96	पैरा–7 (10) (ङ)	अनिर्णीत
97	पैरा–7 (10) (च)	अनिर्णीत
98	पैरा–7 (10) (छ)	निर्णीत
99	पैरा–7 (10) (ज)	अनिर्णीत
100	पैरा–7 (12) (क)	अनिर्णीत
101	पैरा–7 (12) (ख)	अनिर्णीत
102	पैरा–7 (12) (ग)	अनिर्णीत
103	पैरा–7 (12) (घ)	अनिर्णीत
104	पैरा–7 (13) (क)	अनिर्णीत
105	पैरा–7 (13) (ख)	अनिर्णीत
106	पैरा–7 (13) (ग)	अनिर्णीत
107	पैरा–7 (14)	अनिर्णीत
108	पैरा–7 (15)	अनिर्णीत
109	पैरा–7 (16)	अनिर्णीत
110	पैरा–7 (17)	अनिर्णीत
111	पैरा–7 (18)	अनिर्णीत
112	पैरा–7 (20)	अनिर्णीत
113	पैरा–7 (21)	अनिर्णीत
114	पैरा–7 (22)	अनिर्णीत
115	पैरा–7 (25)	अनिर्णीत
116	पैरा–8	अनिर्णीत
117	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत
118	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत
119	पैरा–9 (ग)	अनिर्णीत
120	पैरा–9 (घ)	अनिर्णीत
121	पैरा–10	अनिर्णीत